

झारखंड और बिहार के माइका खनन क्षेत्रों में बच्चों की शिक्षा और भलाई पर सर्वेक्षण

द्वारा एक रिपोर्ट

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग

5वीं मंजिल, चंद्रलोक बिल्डिंग, 36जनपथ, नई दिल्ली-110001

भारत के संविधान का अनुच्छेद 39 (एफ)

“यह कि बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ, निरोगी एवं गुणकारी विकास के अवसर और सुविधाएं दी गयी हैं और यह कि बालकों और युवाओं को शोषण तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से सुरक्षा एवं संरक्षण दिया गया है।”

## प्रस्तावना और आभार

भारत का संविधान देश में सभी बालकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है और राज्य को उनकी सुरक्षा, संरक्षण और विकास के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है। राज्य का यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदारी दी गयी है कि बालकों को शोषण और विंचत होने से बचाया जाए। सरकार ने इसके लिए कानून, नीतियां, योजनाएं और कार्यक्रम बनाए हैं। काम में संलग्न बच्चे एक सामाजिक-आर्थिक मुद्दा हैं। हालांकि, भारत सरकार देश में बाल श्रम के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है। भारत का संविधान आर्थिक गतिविधियों और उनकी उम्र के अनुपयुक्त व्यवसायों में शामिल होने से बच्चों की सुरक्षा प्रदान करता है।

बाल श्रम (निषेध और रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2016 का अधिनियमन बाल श्रम मुक्त समाज के प्रयास में एक ऐतिहासिक कदम है जो सभी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन एवं रोजगार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है और खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में संलग्न किशोरों (14-18 वर्ष) के रोजगार पर रोक लगाता है। इसके अनुरूप, निशुल्क, और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई), 2009, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है और निजी स्कूलों को यह अधिदेशित करता है कि वे निम्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चों को बाल श्रम को रोकने और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आसान और निशुल्क पहुंच प्रदान करने की जिम्मेदारी उठाएं। इसके अलावा, सरकार खतरनाक एवं जोखिमकारी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में काम करने वाले बच्चों के पुनर्वास पर ध्यान केन्द्रित करते हुए अनुक्रमिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) कार्यान्वित कर रही है।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) देश में बच्चों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए जांच, शिकायतों का निवारण, दिशानिर्देश जारी करने, सलाह, प्रोटोकॉल, अध्ययन आयोजित करने, जागरूकता पैदा करने, प्रशिक्षण आदि के लिए कई पहल कर रहा है। तथ्यान्वेषी कार्य विशिष्ट मामलों की जांच करने के लिए आयोग द्वारा अपनाई गई बुनियादी गतिविधियों में से एक है। तथ्यान्वेषी बाल अधिकार संरक्षण आयोग (सीपीसीआर) अधिनियम, 2005 की धारा 13 (1) के तहत प्रदान किए गए कार्यों और शक्तियों के अनुसार किया जाता है। तदनुसार, अभ्रक खनन क्षेत्रों में बच्चों की भागीदारी के बारे में विरोधाभासी रिपोर्टें और उस पर डेटा और सूचना पर स्पष्टता की कमी को देखते हुए, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने “झारखंड और बिहार के अभ्रक खनन क्षेत्रों में बच्चों की भलाई” पर एक सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया, सर्वेक्षण में झारखंड के कोडरमा और गिरिडीह जिलों और बिहार के नवादा जिले के रजौलीब्लॉक को शामिल किया गया।

एनसीपीसीआर ने जिला प्रशासन और सभी संबंधित प्राधिकरणों, एजेंसियों के साथ-साथ राज्य स्तरीय अभिसरण बैठक के साथ जिला स्तर पर अभिसरण बैठकों का आयोजन किया। यह अभ्यास झारखंड

राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर), तीनों जिलों के जिला प्रशासन और विकास एजेंसियों के सहयोग से किया गया था।

28अक्टूबर, 2018 को झारखंड के कोडरमा में श्री कैलाश सत्यार्थीचिल्ड्रन फाउंडेशन (केएससीएफ) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम- टूवर्ड्सचाइल्डलेबरफ्रीमीका, में रिपोर्ट के शुरुआती प्रमुख निष्कर्षों को झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री रघुबर दास के साथ साझा किया गया था। .

मैं सुश्री स्तुति कक्कड़, पूर्व अध्यक्ष, एनसीपीसीआर के मार्गदर्शन और कार्यान्वयन को और अधिक व्यापक बनाने के लिए उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ।

मैं सुश्री आरती कुजूर, पूर्व अध्यक्ष झारखंडएससीपीसीआर, सुश्री शारदा सुब्रमण्यम, आईजीईपी, श्री भुवनरिबू, कैलाश सत्यार्थीचिल्ड्रन फाउंडेशन (केएससीएफ), श्री संजय मिश्रा, भारतीय किसान संघ रांची की सक्रिय भागीदारी को स्वीकार करने का सौभाग्य प्राप्त करता हूँ। मैं श्री दुष्यंत मेहर, सलाहकार, एनसीपीसीआर को भी उनके योगदान के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा।

जिला और स्थानीय प्रशासन से विशेष रूप से कोडरमा और गिरिडीह, झारखंड और नवादा, बिहार से भारी समर्थन प्राप्त हुआ। मैं यह भी उल्लेख करना चाहूँगा कि स्कूली शिक्षा, एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस), एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस), जिला बाल संरक्षण इकाई, शिक्षकों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं जैसे विभागों के स्थानीय अधिकारियों की भागीदारी ने सर्वेक्षण को संभव बनाया। मैं उन सभी एजेंसियों और गैर सरकारी संगठनों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में मदद की।

(प्रियांक कानूनगो)

अध्यक्ष

## प्रारंभिक निष्कर्षों का कार्यकारी सारांश

बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) संरक्षण के लिए कई पहल कर रहा है। शिकायतों का निवारण करके, जांच करके, दिशानिर्देश, सलाह, प्रोटोकॉल जारी करके, अध्ययन आयोजित करके, जागरूकता पैदा करके, प्रशिक्षण आदि द्वारा देश में बच्चों के अधिकारों और हितों की जांच की जाती है। विशिष्ट मुद्दों पर तथ्यान्वेषण आयोग द्वारा विशिष्ट मामलों की जांच करने के लिए अपनाई गई मूलभूत गतिविधियों में से एक है। तथ्यान्वेषी कार्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (सीपीसीआर) अधिनियम, 2005 की धारा 13(1) के अंतर्गत प्रदत्त कार्यों और शक्तियों के अनुसार किया जाता है।

आयोग अंतिम बच्चे तक पहुंच बनाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि वे बच्चे जिन उल्लंघनों का सामना कर रहे हैं, उनका समाधान किया जा सके और शिकायत निवारण, नीतिगत हस्तक्षेप, नियामक हस्तक्षेप, कार्यक्रम गतिविधि, विशेष जांच, सिफारिश और अध्ययन आयोजित करने सहित विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से एक सुरक्षित सामाजिक सुरक्षा जाल में भेद्यता से उनकी स्थिति को कम किया जा सके। आयोग ने देखा है कि अश्वक खनन क्षेत्रों में बच्चों का एक वर्ग अवसरों से वंचित है और कथित तौर पर अपनी पारिवारिक आय के पूरक के लिए बाल श्रम के रूप में काम करता है। इन बच्चों को कई विकासात्मक मुद्दों का सामना करना पड़ सकता है और उनके अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। अश्वक खनन क्षेत्रों में लगे बच्चों की दयनीय तस्वीर को चित्रित करने वाली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहित कई मीडिया रिपोर्टें हैं।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि भारतीय संविधान बच्चों को देश के नागरिकों के रूप में अधिकार प्रदान करता है, और उनकी विशेष स्थिति को ध्यान में रखते हुए, राज्य ने विशेष कानून भी बनाए हैं। 1950 में प्रख्यापित संविधान में बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन में शामिल अधिकांश अधिकारों को मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में शामिल किया गया है। बच्चों के लिए शिक्षा, संरक्षण, विकास और भागीदारी के उनके अधिकारों के लिए कुछ संवैधानिक गारंटी हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को बच्चों के लिए बनाए गए ऐसे तीन अधिनियमों अर्थात् शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की निगरानी करने के लिए अनिवार्य किया गया है। यौन अपराधों से बच्चों की रोकथाम अधिनियम, 2012 और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015। इन तीन अधिनियमों के अंतर्गत उपबंध उन बच्चों पर भी लागू होते हैं जो विशेष रूप से बाल श्रम में हैं, विशेष रूप से उनके बचाव, पुनर्वास, यौन अपराध होने की जांच करने, स्कूली शिक्षा के साथ पुन संलग्न होने और उन्हें आश्रय प्रदान करने के लिए। इसलिए, आयोग के लिए यह और भी महत्वपूर्ण था कि वह बाल श्रम में शामिल बच्चों के मुद्दे को हल करने के लिए उचित उपाय करे।

यह भी महसूस किया गया कि इस मुद्दे को दिल्ली कार्यालय में बैठकर क्षेत्र स्तर पर शामिल किए बिना संबोधित नहीं किया जा सकता है। 2 अप्रैल, 2014 को कोडरमा की भूमि पर दिए गए वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के भाषण की भावना को ध्यान में रखते हुए; आयोग ने क्षेत्र की स्थिति का आकलन करने का निर्णय लिया।

तदनुसार, आयोग ने “झारखंड और बिहार के अभ्रक खनन क्षेत्रों में बच्चों की शिक्षा और कल्याण” पर एक सर्वेक्षण करने की पहल की है। सर्वेक्षण का उद्देश्य अभ्रक खनन क्षेत्रों में बच्चों की शैक्षिक स्थिति, स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों की संख्या, क्या बच्चे अभ्रक स्क्रेप एकत्र करने में शामिल हैं, यदि किशोरों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, और क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों की उपस्थिति का पता लगाना था।

झारखंड और बिहार के अभ्रक खनन क्षेत्रों में सर्वेक्षण करने की पहल करने के लिए कोडरमा और गिरिडीह जिलों के लिए कोडरमा में इन बच्चों की और सर्वेक्षण की सुविधा के लिए दिनांक 02.05.2018 को और नवादा जिले के लिए दिनांक 03.05.2018 को नवादा में अधिकार सुनिश्चित करने के लिए एक अभिसरण बैठक आयोजित की गई थी। इन बैठकों में जिला प्रशासन के सभी हितधारक विभागों, स्थानीय प्राधिकरणों, गैर सरकारी संगठनों और विकास भागीदारों ने भाग लिया था। बैठकों का उद्देश्य अभ्रक खनन क्षेत्रों में गांवों/बस्तियों में सर्वेक्षण करने के तौर-तरीकों पर चर्चा करना और सामूहिक प्रयास करना और राज्य और जिला विभागों, स्थानीय प्राधिकरणों, गैर सरकारी संगठनों और विकास भागीदारों आदि के साथ एक अभिसरण बैठक आयोजित करना और अभ्रक खनन प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करना था।

बैठक में, डेटा/सूचना (बस्तीवार) के संग्रह के तौर-तरीकों पर चर्चा की गई और इसे अंतिम रूप दिया गया। आईजीईपी द्वारा तैयार किए गए टूल पर चर्चा की गई और 0 से 6 वर्ष और 6 से 18 वर्ष के बच्चों पर डेटा संग्रह के लिए टूल को प्रशासित करने के लिए अंतिम रूप दिया गया। सर्वेक्षण खंड शिक्षा अधिकारियों (बीईओ) और बाल विकास परियोजना अधिकारियों (सीडीपीओ) की देखरेख में शिक्षकों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया था। गैर-सरकारी संगठनों ने ब्लॉक स्तर के अधिकारियों, शिक्षकों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण और रसद कार्य में मदद की। निर्णय के अनुसार बिहार के नवादाप्रखंड के दोनों जिलों (कोडरमा की 110 एवं गिरिडीह की 31 पंचायतों) की अभ्रक खनन पंचायतों में सर्वेक्षण किया गया। कोडरमा और गिरिडीह के जिला बाल संरक्षण अधिकारी नोडल अधिकारी मौजूद थे।

### **महत्वपूर्ण जाँच परिणाम**

(1) 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं जिन क्षेत्रों में सर्वेक्षण किया गया था, वहाँ पर बड़ी संख्या में बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। हालाँकि, ये बच्चे ज्यादातर डीआईएसईडेटा के अनुसार स्कूल में नामांकित हैं। सर्वेक्षण के अनुसार, झारखंड के क्षेत्र में 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के 4545 बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। इसी प्रकार नवादा जिले के सर्वेक्षण से पता चला है कि इस क्षेत्र में 649 बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। यह भी देखा गया कि इन बच्चों को नियमित रूप से स्कूल आना

सुनिश्चित करने के लिए पहल की जा रही है। हालाँकि, स्कूल में बच्चों की उपस्थिति और उनके सीखने को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी की आवश्यकता है। इसलिए, डेटा को शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार बच्चों को फिर से संलग्न करने की सिफारिश के साथ जिला अधिकारियों के साथ साझा किया गया है। इसके बाद, जिला प्राधिकरण ने आयोग को सूचित किया है कि वे इसके लिए पहले ही शुरू कर चुके हैं। हालाँकि, शैक्षणिक वर्ष के मध्य सत्र में स्थिति का आकलन करना होगा।

(2) **स्कूल न जाने के कारण:** उत्तरदाताओं द्वारा बच्चों के स्कूल न जाने के कई कारण बताए गए हैं, जिनमें घर पर घरेलू नौकर, शिक्षु, आकांक्षा की कमी, रुचि की कमी और अभूत एकत्र करने के मामले शामिल हैं। परिवारों द्वारा इसे सुधारात्मक कार्रवाई के लिए जिला अधिकारियों के साथ भी साझा किया गया था।

(3) **आंगनवाड़ी में रिपोर्ट किए गए अल्प-पोषण के मामले:** सर्वेक्षण में अल्प-पोषण के मामलों से संबंधित जानकारी भी प्राप्त की गई। गिरिडीह और कोडरमा के मामले में, सर्वेक्षण क्षेत्र में क्रमशः 14% और 19% बस्तियों / गांवों में कुपोषण के मामले दर्ज किए गए। नवादा के मामले में, 69% बस्तियों/गाँवों ने सूचित किया है कि कुछ बच्चे कुपोषित हैं। पोषण की समस्या को दूर करने की दिशा में आंगनबाड़ियों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ पोषण अभियान सक्रिय रूप से काम कर रहा है। यह मुद्दा परिवारों और समुदायों के साथ स्थानीय/आबादी स्तर के हस्तक्षेप पर सभी हितधारक विभागों, विकास भागीदारों और गैर सरकारी संगठनों के प्रभावी सहयोग की मांग करता है।

(4) **मध्याह्न भोजन की उपलब्धता:** स्कूली शिक्षा का यह पहलू बहुत उत्साहजनक था। सर्वेक्षण से पता चलता है कि लगभग 98% स्कूलों में, नवादा और कोडरमा के मामले में उचित मध्याह्न भोजन प्रदान किया जाता है। गिरिडीह के मामले में, 95% स्कूलों में मध्याह्न भोजन ठीक से उपलब्ध कराया जाता है। शेष लगभग 2% नवादा और कोडरमा में, 5% गिरिडीह में; सुधार के प्रयास साफ नजर आ रहे हैं।

(5) **विद्यालय से बाहर की किशोरियां:** झारखंड के सर्वेक्षण क्षेत्र में 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग की 4988 किशोरियां विद्यालय से बाहर बताई जाती हैं। उल्लेखनीय है कि शिक्षा का अधिकार केवल 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा सुनिश्चित करता है। नवादा के सर्वेक्षण क्षेत्र के लिए इसी संख्या 212 है। ये लड़कियां बाल विवाह और बाल श्रम सहित कई मामलों में असुरक्षित हैं। इसलिए, इन किशोरियों को उनके विकास और संरक्षण के लिए शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

(6) **स्कूल से बाहर की किशोरियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण:** व्यावसायिक प्रशिक्षण सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आंगनवाड़ी किशोरियों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। हालाँकि, कोडरमा में 36% बसावट/गाँव, गिरिडीह में 57% बसावट/गाँव और नवादा में केवल 13% बस्तियाँ आंगनवाड़ी केंद्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण का लाभ उठा रही हैं। अधिक किशोरियों को आकर्षित करने के लिए

आंगनवाड़ी में सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है और साथ ही किशोरियों को आंगनवाड़ी सेवाओं में भाग लेने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है।

(7) **रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक पाठ्यक्रम:** तीनों जिलों में लड़कों के लिए रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों की स्थिति निराशाजनक थी। कोडरमा में लगभग 93%, नवादा में 92% और गिरिडीह में लगभग 86% लड़के नौकरी उन्मुख पाठ्यक्रमों के लिए कोई प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करते हैं। किशोर लड़के और लड़कियों को रोजगारोन्मुख व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान करने की आवश्यकता और गुंजाइश है।

(8) **बस्तियाँ जहाँ बच्चे अभ्रक संग्रह के लिए जाते हैं:** यह भी उल्लेख किया गया था कि कोडरमा की 45 बस्तियों, गिरिडीह की 40 बस्तियों और नवादा की 15 बस्तियों में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे अभ्रक संग्रह के लिए जाते हैं। यह बचपन की भावना के खिलाफ है और बच्चे के अधिकारों का हनन है। 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की इसी संख्या में कोडरमा में 47, गिरिडीह में 34 और नवादा जिले में 15 बस्तियाँ हैं। इस मामले को आवश्यक कार्रवाई के लिए जिला अधिकारियों के साथ भी साझा किया गया था।

(9) **सर्वेक्षण क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों की उपस्थिति:** सर्वेक्षण से यह देखा गया कि अभ्रक खनन क्षेत्रों में जहाँ सर्वेक्षण किया गया था वहाँ 24 गैर सरकारी संगठन काम कर रहे हैं। कोडरमा में एनजीओ की उपस्थिति अधिकतम है क्योंकि जिले में कथित तौर पर 18 एनजीओ काम कर रहे हैं, गिरिडीह में 7 एनजीओ मौजूद हैं और नवादा (रजौलीब्लॉक) में केवल 4 एनजीओ काम कर रहे हैं। यह देखा गया कि एनजीओ द्वारा प्रयासों और संसाधनों का दोहराव है क्योंकि एक से अधिक एनजीओ समान मुद्दों पर एक ही स्थान पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा, आयोग एनजीओ से प्राप्त डेटा को एनजीओ दर्पण के साथ संरेखित करने की प्रक्रिया में है। हालांकि, 1098 चाइल्डलाइन का काम उनकी निष्क्रियता के लिए प्रशंसनीय नहीं है, यह देखते हुए कि कई बच्चे अभ्रक एकत्र करने में शामिल हैं, जो कि चाइल्डलाइन द्वारा रिपोर्ट नहीं किया गया था।

10) गैर-सरकारी संगठनों द्वारा अपनाई जा रही कुछ अच्छी प्रथाएँ और अवधारणाएँ प्रकाश में आई हैं।

### **प्रमुख सिफारिशें**

I. जवाबदेही का सिद्धांत: आयोग का मानना है कि अभ्रक खनन क्षेत्रों में जवाबदेही के सिद्धांत की अवधारणा जिसमें व्यावसायिक घरानों की जिम्मेदारी अनैतिक प्रथाओं और स्थानीय कानूनों के पालन से मुक्त आपूर्ति श्रृंखला की जिम्मेदारी लेने की है। हालांकि, यह देखा गया कि इस क्षेत्र से अभ्रक का उपयोग करने वाले उद्योगों सहित हितधारकों द्वारा सिद्धांत की उपेक्षा की जाती है।

II. अभ्रक खनन क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को पूरे क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया था। साथ ही यह भी देखा गया कि कुछ उद्योग आपूर्ति श्रृंखला को साफ करने के लिए जिम्मेदारी साझा करने की कोशिश करते हैं, हालांकि, संबंधित हितधारकों, निगरानी अधिकारियों

के साथ अभिसरण की कमी के कारण दृष्टिकोण उद्देश्य की सेवा नहीं कर रहा है जैसा कि देश के कानूनों में निर्धारित किया गया है।

III. बाल श्रम अधिनियम के प्रावधानों का कार्यान्वयन: बाल एवं किशोर (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के कार्यान्वयन में कमियां हैं। संशोधन अधिनियम 2016 और नियम 2017 (2 जून, 2017 को अधिसूचित) विशेष रूप से नियम 2 (बी) (2) के तहत प्रावधान।

IV. अभ्रक खनन पर राज्य पहल: इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अभ्रक अब एक मामूली खनिज है वादा जो अब केंद्र सरकार द्वारा पूरा किया गया है, राज्य सरकार के नियंत्रण में आता है; अभ्रक खनन को अन्य गौण खनिजों की तरह औपचारिक रूप दिया जा सकता है। हालांकि, डंपिंग क्षेत्र के लिए निविदा प्रक्रिया को औपचारिक बनाने की राज्य की पहल की बहुत सराहना की जाती है, हालांकि, उद्योगों, राज्य और क्षेत्रों के लिए अधिक आकर्षक प्रावधानों की आवश्यकता है। कुछ प्रमुख सुझाव जो एक स्थायी कारोबारी माहौल बना सकते हैं उनमें शामिल हैं;

(1) उठाने की अवधि के कार्यकाल में वृद्धि,

(2) प्रदर्शन गारंटी का मूल्य उचित होना चाहिए

(3) किस्त का मूल्य पूरी अवधि में समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए

(4) स्टार्ट-अप्स को भारत सरकार की नीति के अनुसार छूट दी जा सकती है जो क्षेत्र के युवाओं और युवा उद्यमियों के लिए एक मंच प्रदान कर सकती है।

यह व्यवसाय में आने वाले अधिक लोगों को आकर्षित करने में मदद कर सकता है जो बदले में बेहतर वेतन के साथ अधिक औपचारिक रोजगार पैदा करने में मदद करेगा। नतीजतन, यदि परिवार बेहतर मजदूरी अर्जित करते हैं तो बच्चों को बाल श्रम या अभ्रक एकत्र करने के बजाय स्कूल भेजा जाएगा।

आयोग ने देखा है कि जहाँ पर संगठित क्षेत्र के व्यवसाय असंगठित क्षेत्र पर निर्भर करते हैं, बाल श्रम और अनैतिक प्रथाओं के मुद्दे की संभावना अधिक हो जाती है, जबकि एक असंगठित क्षेत्र औपचारिक हो जाता है, इन मुद्दों को संबोधित किया जा सकता है। इसके अलावा, औपचारिक क्षेत्र बेहतर मजदूरी, नियमित रोजगार, अधिक औपचारिक आर्थिक गतिविधियां लाता है जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और सामाजिक-आर्थिक सामंजस्य बनाए रखने में मदद करता है।

V. **कार्य योजना:** अभ्रक खनन क्षेत्रों में बच्चों के मुद्दों को हल करने और उनके परिवारों को सार्वजनिक सेवाओं के प्रभावी वितरण को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक कार्य योजना की आवश्यकता होती है। कार्य योजना में बसावट/ग्राम स्तर, पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर अभिसरण कार्रवाई के लिए मंच के साथ सभी हितधारकों और सेवा प्रदाताओं की भूमिकाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए।

VI. **स्कूल में शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करना:** विभाग इस आयु वर्ग के बच्चों के संवैधानिक अधिकारों के रूप में विशेष रूप से 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की 100 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करें। स्कूलों में उपस्थिति की निगरानी के लिए डिजिटल तकनीकों का उपयोग करने का सुझाव दिया गया है।

I. **गांवों/बस्तियों में विशेष अभियान:** प्रशासन उन गांवों/बस्तियों में विशेष अभियान चला सकता है, जहाँ पर बच्चों के स्कूल से बाहर होने और बच्चों के अभ्रक एकत्र करने में शामिल होने की सूचना है।

II. **क्षेत्र में बाल श्रम का उन्मूलन:** झारखंड और बिहार राज्य के अभ्रक खनन क्षेत्रों में बाल श्रम को समाप्त करने के लिए एक विशेष अभियान।

VIII **अभ्रक खनन में आपूर्ति श्रृंखला बाल श्रम से मुक्त होगी:** अभ्रक खनन और उद्योग की आपूर्ति श्रृंखला को बाल श्रम से मुक्त बनाया जाएगा। किसी भी बच्चे को अभ्रक खनन प्रक्रिया के किसी भी हिस्से में शामिल नहीं किया जाएगा और स्कैप एकत्र किया जाएगा। गैर-सरकारी संगठनों/विकास एजेंसियों को अभ्रक खनन की आपूर्ति श्रृंखला को बाल श्रम से मुक्त बनाने के लिए रणनीति बनाने के लिए स्थानीय और जिला प्रशासन के साथ-साथ उद्योगों के साथ काम करना चाहिए।

IX. **बच्चों से अभ्रक खरीदने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई:** बच्चों से अभ्रक खरीदने वाले खरीदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। उनके खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की जाए।

X. **युवाओं के कौशल विकास के लिए खनन क्षेत्र के लिए कौशल परिषद की भागीदारी:** क्षेत्र के युवाओं को खनन से संबंधित विभिन्न कौशलों पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए खनन क्षेत्र के लिए कौशल परिषद को शामिल करने पर विचार किया जा सकता है।

XI. **बच्चों के लिए पोषण:** स्थानीय रूप से उपलब्ध पौष्टिक भोजन का उपयोग करके और पोषण से संबंधित जागरूकता पैदा करने वाले बच्चों में कुपोषण के मुद्दों को दूर करने के लिए पोषण अभियान के राष्ट्रीय कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है।

XII. **पेंसिल योजना:** पेंसिल योजना (बाल श्रम न करने के प्रभावी प्रवर्तन के लिए मंच) को कोडरमा और गिरिडीह जिले में लागू किया जा सकता है और ठीक से लागू किया जा सकता है ताकि क्षेत्रों में बाल श्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद मिल सके।

XIII. **आवासीय विद्यालय और छात्रावास:** अभ्रक खनन क्षेत्रों में आवासीय विद्यालय और छात्रावास की सुविधा होनी चाहिए ताकि उन बच्चों को समायोजित किया जा सके जो स्कूल नहीं जा रहे हैं। इससे उन बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी जो स्कूल से बाहर हैं या स्कूल नहीं जा

रहे हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) और आश्रम विद्यालय जैसी योजनाओं के तहत अधिक आवासीय विद्यालय क्षेत्रों में स्थापित किए जा सकते हैं।

XIV. **प्रमाणन:** अभ्रक उद्योग के लिए बाल श्रम मुक्त आपूर्ति श्रृंखला प्रक्रिया के लिए प्रमाणन को प्रोत्साहित किया जा सकता है। इससे उद्योग में जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

XV. **शिक्षकों का संवेदीकरण:** शिक्षक बच्चों की शिक्षा और भलाई में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए, शिक्षकों को बच्चों के सभी महत्वपूर्ण मुद्दों और संबंधित अधिनियमों विशेष रूप से बाल श्रम (निषेध और विनियमन अधिनियम, 2016 और नियम 2017, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015, शिक्षा का अधिकार अधिनियम) 2009 और यौन अपराधों से बच्चों की रोकथाम (पोस्को) अधिनियम, 2012 पर उन्मुख होना चाहिए। ।

XVI. **एनजीओ का अभिसरण:** यह देखा गया कि एनजीओ द्वारा काम का दोहराव है क्योंकि एक से अधिक एनजीओ कुछ क्षेत्रों / गांवों में समान मुद्दों पर काम कर रहे हैं। गैर-सरकारी संगठनों के लिए उपलब्ध संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए प्रयासों के दोहराव के मुद्दों को संबोधित करने की आवश्यकता है। बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य आयोग (एससीपीसीआर) गैर सरकारी संगठनों की निगरानी और मार्गदर्शन करना पसंद कर सकता है जहां सेवाओं की बहुत आवश्यकता होती है और प्रयासों और संसाधनों के दोहरापन को हतोत्साहित करता है। इसके अलावा, गैर सरकारी संगठनों को अपने कार्य क्षेत्र की रिपोर्ट जिला प्रशासन को देनी चाहिए ताकि जिले में गैर सरकारी संगठनों की उपस्थिति पर जिला स्तर पर एक स्पष्ट तस्वीर खींची जा सके। इससे जिला प्रशासन को आवश्यकता के अनुसार विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कौशल विकास आदि क्षेत्रों में गैर सरकारी संगठनों को शामिल करने में मदद मिलेगी।

XVII. **सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत विशेष प्रशिक्षण केंद्र (एसटीसी):** सर्व शिक्षा अभियान के ढांचे के तहत प्रदान किए गए विशेष प्रशिक्षण केंद्र (एसटीसी) की योजना क्षेत्रों में स्थापित की जा सकती है। यह उल्लेख किया जा सकता है कि क्षेत्रों में बच्चों को स्कूल न जाने की स्थिति को देखते हुए ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता है। यह इन बच्चों को औपचारिक स्कूल या ओपन स्कूलिंग से जोड़ने में सेतु का काम करेगा।

XVIII. **कौशल विकास केंद्र:** अभ्रक खनन क्षेत्रों में कौशल विकास केंद्र स्थापित किए जा सकते हैं। केंद्रों के तहत कौशल कार्यक्रम राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के अनुसार होना चाहिए जो एक योग्यता-आधारित ढांचा है जो ज्ञान, कौशल और योग्यता के स्तरों की एक श्रृंखला के अनुसार सभी योग्यताओं का आयोजन करता है। जरूरत पड़ने पर, राष्ट्रीय कौशल योग्यता समिति 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश या दिशा-निर्देश निर्धारित कर सकती है, जो स्किल/फ्रेमवर्क के अनुसार कौशल हासिल करने के लिए उनके लिए एक नुकसानदेह श्रेणी है।

XIX. जिला खनिज फाउंडेशन: खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 के तहत प्रदान किए गए प्रावधान के अनुसार; खनन संबंधी कार्यों से प्रभावित जिले में जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) की स्थापना की जा रही है। फाउंडेशन को खदानों से 10 प्रतिशत रॉयल्टी मिलती है और इस फंड को खनन क्षेत्रों में सामाजिक बुनियादी ढांचे और सुविधाओं पर खर्च किया जा रहा है। इसलिए, क्षेत्र के विकास और बच्चों के लिए सामाजिक बुनियादी ढांचे के लिए फंड का लाभ लेने की संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं।

### **परिचय और पृष्ठभूमि**

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) का गठन भारत सरकार द्वारा बाल अधिकार संरक्षण आयोग (सीपीसीआर) अधिनियम, 2005 (2006 की संख्या 4) की धारा 3 के तहत बाल अधिकारों और संबंधित मामलों की सुरक्षा हेतु एक सांविधिक निकाय के रूप में किया गया है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग (सीपीसीआर) अधिनियम, 2005 की धारा 13 (1) के तहत, यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ कार्य प्रदान किए गए हैं कि बच्चों के अधिकारों को विशेष रूप से सबसे कमजोर और हाशिए पर रखा गया है। इसके अलावा, आयोग को निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन की निगरानी करने का भी अधिकार दिया गया है।

### **पहल की पृष्ठभूमि और औचित्य**

भारतीय संविधान बच्चों को देश के नागरिक के रूप में अधिकार प्रदान करता है, और उनकी विशेष स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य ने विशेष कानून भी बनाए हैं। 1950 में प्रख्यापित संविधान में बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन में शामिल अधिकांश अधिकारों को मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में शामिल किया गया है। बच्चों के लिए संवैधानिक गारंटी में शामिल हैं:

- 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21ए)
- 14 वर्ष की आयु तक किसी भी प्रकार के जोखिम भरे और खतरनाक रोजगार से सुरक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 24)
- आर्थिक आवश्यकता द्वारा दुर्व्यवहार और मजबूर होने से बचाने का अधिकार उन व्यवसायों में प्रवेश करने के लिए जो उनकी उम्र या ताकत के अनुकूल नहीं हैं (अनुच्छेद 39, (ई))
- स्वस्थ तरीके से और स्वतंत्रता और गरिमा की स्थितियों में विकसित करने के लिए समान अवसरों और सुविधाओं का अधिकार और शोषण के खिलाफ और नैतिक और भौतिक परित्याग के खिलाफ बाल और युवाओं की सुरक्षा की गारंटी (अनुच्छेद 39 (एफ))
- छह वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों को प्रारम्भिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 45)

हालाँकि बच्चों का एक बड़ा वर्ग कठिन और हाशिए की स्थिति में है जिसमें वे अवसरों की कमी, पारिवारिक स्थिति और भौगोलिक परिस्थितियों के कारण खुद को विकसित करने में असमर्थ हैं। अभ्रक खनन क्षेत्रों में बच्चों का एक वर्ग अवसरों से वंचित है और कथित तौर पर परिवार की आय बढ़ाने के लिए बाल श्रम के रूप में काम कर रहा है। इन बच्चों को कई विकासात्मक मुद्दों का सामना करना पड़ता है और ऐसा लगता है कि उनके अधिकारों का उल्लंघन किया गया है।

### **अभ्रक खनन क्षेत्रों में बच्चों से संबंधित डेटा: एक बहस**

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मई 2018 के महीने में भारत में काम करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी टेरे डेसहोम्स द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट “ग्लोबलमीकामाइनिंग एंड द इम्पेक्टऑनचिल्ड्रेनलाइफ” का संज्ञान लिया। यह देखा गया कि एजेंसी ने भारत में अभ्रक खनन क्षेत्रों में एक सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण से पता चलता है कि झारखंड और बिहार के अभ्रक खनन क्षेत्रों में 22000 (बाईस हजार) से अधिक बच्चे बाल श्रम में हैं। एनसीपीसीआरझारखंड के अभ्रक खनन क्षेत्रों की स्थिति से पहले से ही अवगत था और 22000 बच्चों के बाल श्रम में होने की जानकारी आयोग के लिए खुलासा कर रही थी। यह भी पाया गया कि आगे की कार्रवाई करने के लिए आयोग के लिए सभी बच्चों के बारे में जानकारी महत्वपूर्ण है। इसलिए, आयोग ने मामले का संज्ञान लिया और उक्त एजेंसी से संबंधित इनपुट के साथ एक स्वतंत्र सर्वेक्षण शुरू किया। पहले दावा किया गया था कि इस प्रक्रिया के दौरान 22,000 बच्चों के डेटा को सत्यापित नहीं किया जा सका था।

यहाँ पर यह उल्लेख किया जा सकता है कि भारत में बाल श्रम के मुद्दे को हल करने के लिए एक मजबूत कानूनी व्यवस्था मौजूद है, जिसके लिए नामित अधिकारियों और हेल्प लाइन से संपर्क करना पड़ता है। बाल श्रम में शामिल बच्चों के मामले में लागू प्रमुख कानून निषेध और विनियमन अधिनियम, 1986, बाल श्रम नियम, 2017 और अनुसूची अधिसूचना अगस्त, 2017 है। बाल श्रम, पुनर्वास उपाय और बाल श्रम को रोकने आदि जैसे बच्चों के बचाव के लिए स्पष्ट निर्देश बाल श्रम की रिपोर्टिंग में शामिल किये गये हैं। इसके अलावा, अन्य कानूनों में ऐसे प्रावधान भी मौजूद हैं जो बाल श्रम, तस्करी, रोजगार के दौरान बच्चे के खिलाफ अपराध और बंधुआ मजदूरी आदि के मुद्दों को संबोधित करते हैं। ये हैं; भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 370, 370ए, 342, 343, 344, 363, 374, किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 74-88, 42, 33-34, बंधुआ श्रम प्रणाली उन्मूलन (बीएलएसए) अधिनियम, 1976 की धारा 16-23।

बाल श्रम अधिनियम निम्नलिखित के लिए स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करता है; शिकायत के लिए: यदि किसी के पास बाल श्रम पर कोई जानकारी है, वह व्यक्ति कार्रवाई करने के लिए निम्नलिखित एजेंसियों से संपर्क कर सकता है - पेंसिल पोर्टल पर शिकायत कार्नर, कोई भी पुलिस स्टेशन या विशेष किशोर पुलिस इकाई (एसजेपीयू), डीएम के अधीन जिला टास्क फोर्स, राज्य श्रम विभाग या श्रम निरीक्षक, चाइल्ड लाइन 1098, जिला नोडल अधिकारी।

**बचाव दल का प्रावधान:** बाल श्रम अधिनियम के तहत, बचाव दल का प्रावधान दिया गया है जिसमें पुलिस/विशेष किशोर पुलिस इकाई, जिला नोडल अधिकारी या श्रम निरीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट या उप-

विभागीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट, बाल कल्याण के नामित व्यक्ति शामिल किये गये हैं। समिति/जिला बाल संरक्षण अधिकारी (डीसीपीओ)/ग्राम बाल संरक्षण समितियों के सदस्य, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रतिनिधि; गैर-सरकारी संगठन, चाइल्डहेल्पलाइन के प्रतिनिधि आदि। बचाव के बाद की गतिविधियाँ: बच्चों के बचाव के बाद, अनुसरण करने या उठाए जाने वाले कदमों की एक स्थापित प्रक्रिया होती है। इसमें एफआईआर दर्ज करना, सीडब्ल्यूसी के सामने बच्चे/बच्चों को पेश करना, पीड़ितों की काउंसलिंग, जिला/राज्य कानूनी सहायता सेवाओं से कानूनी सहायता, कानूनी परामर्श, पीड़ितों के बयान दर्ज करना, पीड़ित-गवाह संरक्षण, आदेश आदि जारी करना शामिल है। पुनर्वास के उपाय: व्यापक पुनर्वास उपायों का प्रावधान है जिसमें शामिल हैं; आश्रय गृह, भोजन आदि की व्यवस्था करके बच्चे को या तो बाल गृह, फिट सुविधा, फिट व्यक्ति, फोस्टरकेयर में डालकर सामाजिक पुनर्वास; बच्चे को राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) में डालकर शैक्षिक पुनर्वास; आर्थिक पुनर्वास बंधुआ मजदूरी के मामले में 20,000/- रुपये की तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करना और 30,000/- रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करना।

अधिनियम के अनुसार; एक बच्चा कुछ पारिवारिक व्यवसायों में मदद कर सकता है जो स्कूली शिक्षा को प्रभावित किए बिना गैर-खतरनाक हैं (2-बी, बाल श्रम नियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार)। इसके अलावा, यह भी प्रदान किया जाता है कि “जहां एक स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने वाला बच्चा स्कूल के प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक को सूचित किए बिना लगातार तीस दिनों तक अनुपस्थित रहता है, तो प्राचार्य या प्रधानाध्यापक ऐसी अनुपस्थिति की सूचना संबंधित नोडल अधिकारी को देंगे जिसे सीएलपीआरए नियम, 2017 की धारा 17, 2 (बी) 2 में संदर्भित किया गया है।

इसलिए, आयोग के लिए यह सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण था कि क्या इन प्रावधानों का पालन किया जा रहा है। इसलिए, कानून के तहत प्रदान किए गए प्रावधानों का पालन करने और बच्चों को समाज में मुख्यधारा और पुनर्वास के लिए बच्चों की सूची की आवश्यकता थी। विदेशी होने के कारण एजेंसी को भारतीय कानूनी प्रणाली के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और दुर्भाग्य से, ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इस मुद्दे को प्रचारित करने के बजाय समस्या का समाधान करने के लिए किसी भी प्राधिकरण से संपर्क नहीं किया या रिपोर्ट नहीं की।

यह उल्लेख किया जा सकता है कि; एनसीपीसीआर को शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, यौन अपराधों से बच्चों की रोकथाम अधिनियम, 2012 और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की निगरानी करना अनिवार्य किया गया है। इन तीन अधिनियमों के तहत प्रदान किए गए प्रावधान उन बच्चों पर भी लागू होते हैं, जो विशेष रूप से बाल श्रम में हैं, उनके बचाव के लिए, प्राथमिकी दर्ज करना, यह जांच-पड़ताल करना कि क्या अपराध यौन अपराध हैं, स्कूली शिक्षा के साथ फिर से जुड़ना और उन्हें आश्रय प्रदान करना। इसलिए, बाल श्रम में शामिल बच्चों के मुद्दे को हल करने के लिए आयोग के लिए उचित उपाय करना और भी महत्वपूर्ण था। तदनुसार, एनसीपीसीआर ने जिला और स्थानीय प्रशासन, हितधारकों, अधिकारियों और गैर सरकारी

संगठनों/विकास भागीदारों को शामिल करते हुए अभ्रक खनन क्षेत्रों में बच्चों की शिक्षा और कल्याण के संबंध में एक तथ्य खोज सर्वेक्षण करने की पहल की है।

झारखंड और बिहार के अभ्रक खनन क्षेत्रों में सर्वेक्षण करने की पहल करने के लिए, कोडरमा और गिरिडीह जिलों के लिए कोडरमा में दिनांक 02.05.2018 को और नवादा जिले के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 03.05.2018 को नवादा में इन बच्चों की और सर्वेक्षण की सुविधा के लिए एक अभिसरण बैठक आयोजित की गई थी। दोनों बैठकों की अध्यक्षता सदस्य, शिक्षा और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने की थी। इस बैठक में जिला प्रशासन के सभी हितधारक विभागों, स्थानीय प्राधिकरणों, गैर सरकारी संगठनों और विकास भागीदारों ने भाग लिया। इन बैठकों के निम्न उद्देश्य थे: -

- अभ्रक खनन क्षेत्रों में गांवों में सर्वेक्षण करने के तौर-तरीकों पर चर्चा करना और सामूहिक प्रयास करना।

अभ्रक खनन प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य और जिला विभागों, स्थानीय अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों, विकास भागीदारों आदि के साथ एक अभिसरण बैठक आयोजित करना। बैठक में भाग लेने वाले अधिकारियों में स्कूल शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास (आईसीडीएस और आईसीपीएस), श्रम विभाग, जनजातीय मामलों के विभाग, खान विभाग, स्वास्थ्य विभाग, वन विभाग, पंचायती राज विभाग, पेयजल एवं आपूर्ति विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, अल्पसंख्यक मामले विभाग एवं समाज कल्याण/सामाजिक न्याय विभाग मौजूद थे। इसके अलावा, विकास भागीदारों और गैर सरकारी संगठनों ने भी बैठकों में भाग लिया।

बैठक में, डेटा/सूचना (बस्तीवार) के संग्रह के तौर-तरीकों पर चर्चा की गई और इसे अंतिम रूप दिया गया। यह बताया गया कि आईजीईपी ने अभ्रक खनन क्षेत्रों में बच्चों की स्थिति पर जानकारी एकत्र करने के लिए कोई भी सर्वेक्षण करने के लिए एक उपकरण विकसित किया है। बैठक में उपकरण पर चर्चा की गई और उपकरण को प्रशासित करने का निर्णय लिया गया। इसी के अनुसार बैठक में 0 से 6 वर्ष एवं 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए डाटा संग्रहण का टूल वितरित किया गया। यह निर्णय लिया गया कि सर्वेक्षण खंड शिक्षा अधिकारियों (बीईओ) और बाल विकास परियोजना अधिकारियों (सीडीपीओ) की देखरेख में शिक्षकों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाएगा। गैर सरकारी संगठन ब्लॉक स्तर के अधिकारियों, शिक्षकों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के आयोजन में मदद करेंगे।

इस संबंध में आगामी कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन को निर्देश भेजा गया है।

**1) गैर सरकारी संगठनों की उपस्थिति:** जिला प्रशासन से अभ्रक खनन क्षेत्रों में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों की जानकारी संकलित करने के लिए उपयुक्त आदेश जारी करने या उचित कदम उठाने का अनुरोध किया जाता है। गैर सरकारी संगठनों की सूची में वे गैर सरकारी संगठन शामिल हैं जो बैठक में उपस्थित थे और जो उपस्थित नहीं थे लेकिन अभ्रक खनन क्षेत्र में काम कर रहे हैं।

## 2) अधिकारियों, हितधारकों और एजेंसियों की भूमिका:

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| आंगनवाड़ी कार्यकर्ता             | फॉर्म ए भरेंगे (0-6 वर्ष)                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| आशा कार्यकर्ता                   | उपकरण/प्रश्नावली भरने में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की मदद करेंगे                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| आईसीडीएस पर्यवेक्षक              | आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को उपकरण/प्रश्नावली भरने में मदद करेंगे और स्कूल न जाने वाली किशोरियों से संबंधित मामले में सहायता करेंगे                                                                                                                                                                         |
| बाल विकास परियोजना अधिकारी       | आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा उपकरणों के प्रशासन की निगरानी करेंगे और स्कूल न जाने वाली किशोरियों से संबंधित मामले में सहायता प्रदान करेंगे                                                                                                                                                            |
| शिक्षक                           | 6 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के संबंध में जानकारी एकत्रित कर प्रपत्र-बी भरेंगे                                                                                                                                                                                                                   |
| ब्लॉक संसाधन समन्वयक (बीआरसी)    | शिक्षकों द्वारा उपकरण के प्रशासन का पर्यवेक्षण करेंगे और मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करेंगे                                                                                                                                                                                                            |
| सर्किल संसाधन समन्वयक (सीआरसी)   | शिक्षकों द्वारा उपकरण के प्रशासन का पर्यवेक्षण करेंगे और मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करेंगे                                                                                                                                                                                                            |
| सरपंच/प्रधान/पंचायत वार्ड सदस्य  | शिक्षक एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को जानकारी उपलब्ध करायेगी एवं उपकरण/प्रश्नावली भरने में सहयोग करेगी                                                                                                                                                                                                    |
| खान प्रवर्तन अधिकारी             | यह सुनिश्चित करेगा कि सर्वेक्षण में सर्वेक्षण के लिए पहचाने गए सभी खनन क्षेत्रों को शामिल किया गया है।                                                                                                                                                                                                 |
| जिला श्रम अधिकारी                | शिक्षकों द्वारा उपकरणों के प्रशासन की निगरानी करेंगे और स्कूली बच्चों और व्यावसायिक प्रशिक्षण से संबंधित मामले में सहायता प्रदान करेंगे                                                                                                                                                                |
| जिला बाल संरक्षण अधिकारी डीसीपीओ | शिक्षकों द्वारा उपकरणों के प्रशासन की निगरानी करेंगे और स्कूल न जाने वाले बच्चों से संबंधित मामले में सहायता प्रदान करेंगे                                                                                                                                                                             |
| गैर सरकारी संगठन                 | क) अन्ध्र खनन क्षेत्रों में कार्यरत गैर सरकारी संगठन अपने संबंधित क्षेत्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और शिक्षकों का समर्थन करेंगे।<br>ख) प्रशिक्षण कार्यशाला में भाग लेने के लिए एनजीओ द्वारा जिला प्रशासन को सूचना के रूप में क्लस्टर/ब्लॉक/जिला स्तरीय एनजीओ अधिकारियों को प्रस्तुत की गई जानकारी। |
| बीकेएस, रांची                    | कार्यशालाओं सहित रसद व्यवस्था                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| आईजीईपी, गुरुग्राम               | उपकरण सामग्री प्रदान करें, डेटा का संकलन।                                                                                                                                                                                                                                                              |

**3) प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण:** जून 2018 के प्रथम सप्ताह में जिला स्तर पर प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा तथा उसके बाद वास्तविक सर्वेक्षण किया जायेगा। प्रशिक्षण कार्यशाला में सीडीपीओ, डीसीपीओ/डीएसडब्ल्यूओ, जिला श्रम अधिकारी, खान प्रवर्तन अधिकारी, अंचल संसाधन समन्वयक (सीआरसी), ब्लॉक संसाधन समन्वयक (बीआरसी), आईसीडीएस पर्यवेक्षक और एनजीओ अधिकारी अपने एनजीओ में क्लस्टर/ब्लॉक/जिले के प्रभारी भाग लेंगे।

**4) सर्वेक्षण:** सभी गांवों, पंचायतों और ब्लॉकों को कवर करते हुए अन्ध्र खनन क्षेत्रों में सर्वेक्षण किया जाएगा। झारखंड में कोडरमा जिले की 109 पंचायत जो पूरे जिले में है और गिरिडीह जिले की 33

पंचायतों में सर्वेक्षण किया जाएगा। सर्वेक्षण जुलाई, 2018 तक पूरा किया जाना चाहिए। सर्वेक्षण स्कूल के शिक्षकों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाना है। वे सर्वेक्षण भरते समय हितधारक से बात करेंगे। आदर्श रूप से ब्लॉक स्तर पर शिक्षकों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण और उन्मुखीकरण दिया जाना चाहिए।

5) यह ध्यान दिया जा सकता है कि सर्वेक्षण करने की प्राथमिक जिम्मेदारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और शिक्षकों की है।

**6) नोडल अधिकारी:** कोडरमा और गिरिडीह, झारखंड और नवादा, बिहार जिलों से सर्वेक्षण पूरा होने तक समन्वय के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने का अनुरोध किया गया है। परियोजना के लिए तीनों जिलों के जिला बाल संरक्षण कार्यालय को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

### **राज्य स्तर पर अभिसरण बैठक**

राज्य स्तर पर एक अभिसरण बैठक का आयोजन झारखंड सरकार के सचिवालय और रांची में खान और भूविज्ञान विभाग, श्रम और रोजगार विभाग, शिक्षा विभाग और महिला एवं बाल विभाग के राज्य स्तर के अधिकारियों के साथ किया गया था। 24 जुलाई, 2018 को विकास। बैठक में बताया गया कि आयोग गिरिडीह और कोडरमा जिलों में अग्रक खनन क्षेत्रों में बच्चों की शिक्षा और कल्याण के संबंध में तथ्यान्वेषी सर्वेक्षण कर रहा है। यह भी बताया गया कि कोडरमा और गिरिडीह के जिला प्रशासन और हितधारकों के साथ एक अभिसरण बैठक पहले ही आयोजित की जा चुकी है। राज्य के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श में निम्नलिखित मामलों पर चर्चा की गई और उन्हें साझा किया गया:

आयोग झारखंड के अग्रक खनन क्षेत्रों के पास बच्चों के मुद्दों से अच्छी तरह वाकिफ है। आयोग अग्रक खनन क्षेत्रों में बच्चों की शिक्षा और कल्याण के संबंध में एक तथ्य खोज सर्वेक्षण कर रहा है, कोडरमा और गिरिडीह के जिला प्रशासन और हितधारकों के साथ एक अभिसरण बैठक पहले ही आयोजित की जा चुकी है। वर्तमान में, कोडरमा और गिरिडीह जिले में सर्वेक्षण चल रहा है।

उद्योग के लिए आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को स्पष्ट करने की आवश्यकता है ताकि उद्योग विशेष रूप से उद्योग में शामिल होने वाले बच्चों से मुक्त हो सके। यह आशा की जाती है कि सुप्रबंधित अग्रक उद्योग राज्य में स्थानीय अर्थव्यवस्था में तेजी लाएगा। उद्योग के आर्थिक लाभ स्थानीय समुदायों, परिवारों और युवाओं की अर्थव्यवस्था में मदद करेंगे। यह स्थानीय क्षेत्रों की शिक्षा और अन्य सेवाओं में भी मदद करेगा और मानव विकास में योगदान देगा।

राज्य के अधिकारियों को सूचित किया गया था कि जिला प्रशासन (कोडरमा और गिरिडीह), अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समाज संगठनों के साथ अभिसरण बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में कोडरमा और गिरिडीह दोनों जिलों के राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, कलेक्टर, एसपी, अग्रक निर्यातक, चाइल्ड लाइन, बाल श्रम, शिक्षा और अन्य विभागों ने भाग लिया। बैठक में दोनों जिलों की सभी अग्रक खनन पंचायतों (110- कोडरमा व 3.1 गिरिडीह) में सर्वे करने

का निर्णय लिया गया है। बैठक में सर्वेटूल भी हिंदी अनुवाद के साथ बैठक में वितरित किया गया है और सभी पंचायतों (स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों) के लिए आपूर्ति की गई है।

शिक्षकों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, पर्यवेक्षकों, अधिकारियों और गैर सरकारी संगठनों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किए गए हैं। सर्वेक्षण में प्रश्नावली के दो सेट हैं (स्कूल और आंगनवाड़ी)। श्रम, खान, शिक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग अभ्रक खनन क्षेत्रों में बच्चों के मामले में अभिसरण में काम कर रहे हैं। रिपोर्ट की मदद और समन्वय के साथ संकलित किया जाएगा। राज्य आयोग सर्वेक्षण के निष्कर्षों और क्षेत्रों में मौजूद एनजीओ के आधार पर- जिला प्रशासन की समग्र देखरेख में उन्हें (एनजीओ) आवास आवंटित किए जाएंगे।

जो बच्चे स्कूल से बाहर हैं उनकी पहचान की जाएगी और जिले के लिए एक डाटा बेस तैयार किया जाएगा। बस्ती/क्षेत्र में कार्यरत एनजीओ को हैंडहोल्डिंग की जिम्मेदारी दी जाएगी। पुनर्नियुक्ति स्कूल, आंगनवाड़ी, गैर सरकारी संगठनों, ग्राम पंचायत/प्रधान और अधिकारियों का एक सहयोगी प्रयास होगा। पूरी गतिविधियों पर जिला प्रशासन नजर रखेगा। स्कूल से बाहर के बच्चों को स्कूली शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और युवाओं के प्रशिक्षण/कौशल निर्माण में फिर से लगाया जाएगा और परिवारों के आय स्तर को ऊपर उठाया जाएगा। खान एवं भूतत्व, शिक्षा एवं श्रम एवं रोजगार विभाग के अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि सर्वेक्षण गतिविधियों और बच्चों को मुख्य धारा में लाने में सहयोग दिया जाएगा।

## **जिला प्रोफाइल**

### **कोडरमा, झारखंड**

कोडरमा जिला झारखंड की राजधानी रांची से 165किमी दूर स्थित है। जिले की मुख्य नदी बराकर, बारसोई और सकरी हैं जो 1655.61 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई हैं, जबकि मुख्य शहर झूमरीतिलैया है। कोडरमा जिले में एक अनुमंडल, स्वयं कोडरमा और 6 (छह) राजस्व मंडल हैं। विकासात्मक प्रशासन के लिए जिले को 6 (छह) विकासात्मक खंडों में विभाजित किया गया है: कोडरमा, जयनगर, चंदवारा, मरकछो, सतगावां और डोमचांच। 717 (सात सौ सत्रह) गांव और 109 (एक सौ नौ) पंचायतें हैं। यह जिला अभ्रक नगरी के नाम से प्रसिद्ध है।

### **चित्र**

यह जिला उत्तर में बिहार के नवादा जिले से, दक्षिण में झारखंड के हजारीबाग जिले से, पूर्व में झारखंड के गिरिडीह जिले से और पश्चिम में बिहार के गया जिले से घिरा हुआ है।

कोडरमा जिला छोटानागपुर पठार में समुद्र तल से 397 मीटर (1,302फीट) की ऊंचाई पर स्थित है। यह क्षेत्र पहाड़ियों, पहाड़ियों, मैदानों और टीलों से युक्त लहरदार स्थलाकृति प्रदर्शित करता है।

जिले का हिस्सा कोडरमा आरक्षित वन द्वारा कब्जा कर लिया गया है। सबसे ऊँची चोटी डेबोर घाटी (677 मीटर) है जो झारखंड और बिहार राज्यों की सीमा है। झारखंड से बिहार तक दक्षिण से उत्तर

की खंड रेखा हजारीबाग पठार से होकर गुजरती है। इस पठार के किनारे की चट्टानों को असंख्य जलधाराओं द्वारा गहराई से काटा गया है। आकृति या जूते के फीते जैसी विभिन्न प्रकार की कई रिल और गलियां हैं। बराकर नदी जिले के दक्षिणी भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और इस पर निर्मित एक बहुउद्देशीय बांध तिलैयाहाइडल परियोजना का समर्थन करती है। पोंछखारा, केसो, एकटो, गुरियो, गुखनानाडी बराकर नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। सकरी नदी जिले के उत्तरी भाग में मुख्य नदी है जो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बहती है। घग्गनानड्डी, छोटानारी नदी सकरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। महुआ, बरगद, सखुआ, पलाश, पीपल, नीम, खजूर, बांस क्षेत्र की वनस्पतियां हैं। कोडरमा आरक्षित वन के वन क्षेत्र में तेंदुआ, भालू, सुअर, हिरण और खरगोश जैसे जीव पाए जाते हैं। कोडरमा जंगलों और कई प्राकृतिक संसाधनों से घिरा हुआ है।

एक समय में, कोडरमा को भारत की अभ्रक राजधानी माना जाता था। उस समय के दौरान, कोडरमा और झुमरीतिलैया की टाउनशिप में कई अभ्रक व्यवसायियों का उदय हुआ था। अब, यह झारखंड राज्य में एक तेजी से विकासशील शहर है। कोडरमा के पास दुनिया में अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार रखने का विश्व रिकॉर्ड है।

#### गिरिडीह, झारखंड

गिरिडीह जिला, झारखंड का एक प्रशासनिक जिला है, जिसका मुख्यालय गिरिडीह में है। यह दिनांक 4 दिसंबर 1972 को हजारीबाग जिले से अलग किया गया था। यह जिला 24 डिग्री 1 मिनट उत्तरी अक्षांश और 86 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। उत्तरी छोटा नागपुर मंडल के लगभग मध्य भाग में स्थित, यह जिला उत्तर में जमुई जिले और बिहार के नवादा जिले के हिस्से से, पूर्व में देवघर और जामताड़ा जिलों से, दक्षिण में धनबादबोकारो से और पश्चिम में हजारीबागकोडरमा घिरा हुआ है। गिरिडीह जिला 4853.56 वर्ग किमी के क्षेत्र में फैला हुआ है। पूरा क्षेत्र घने वन वनस्पति और पहाड़ी तालों से आच्छादित है।

#### चित्र

गिरिडीह भारत के झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले का मुख्यालय है। गिरिडीह का शाब्दिक अर्थ पहाड़ियों और पहाड़ियों की भूमि है- गिरि, एक हिंदी शब्द है, जिसका अर्थ है पहाड़ियाँ और स्थानीय बोली का एक और शब्द डीह, जो भूमि को इंगित करता है। 1972 से पहले गिरिडीहहजारीबाग जिले का हिस्सा था। गिरिडीह प्रतिष्ठित भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आईएसआई) का एक केंद्र है। गिरिडीह राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) के डाटा प्रोसेसिंगडिवीजन (डीपीडी) के छह डेटाप्रोसेसिंग केंद्रों में से एक है। 18वीं सदी के अंत तक गिरिडीह जिला खड़गडीहाएस्टेट का हिस्सा था। ब्रिटिश राज के दौरान गिरिडीह जंगल टेरी का हिस्सा बन गया। 1831 में कोल विद्रोह के बाद, रामगढ़, खड़गडीहा, केंडी और कुंडा के परगना दक्षिण-पश्चिम सीमांत एजेंसी के हिस्से बन गए और प्रशासनिक मुख्यालय के रूप में हजारीबाग नामक एक डिवीजन में गठित हुए। गिरिडीह जिला 6

दिसंबर 1972 को हजारीबाग जिले के कुछ हिस्सों को काटकर बनाया गया था। 1999 में इसका एक हिस्सा बोकारो जिला बन गया। गिरिडीह की भूमि कोयले से समृद्ध है, और एक बार गिरिडीह में अभ्रक उद्योग का विकास हुआ था जो मुख्य रूप से जापान को निर्यात किया जाता था। गिरिडीह में कोयले की कई छोटी-बड़ी खदानें पाई जाती हैं।

गिरिडीह 24.18°एन 86.3°ई पर स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई 289 मीटर (948 फीट) है। गिरिडीह में स्थित श्री सम्मैताशिखरजी को पारसनाथ पहाड़ियों के रूप में भी जाना जाता है, जो झारखंड की सबसे ऊँची पर्वत चोटी है। यह समुद्र तल से 4,477 फीट (1,365 मीटर) ऊपर स्थित एक शंक्वाकार ग्रेनाइट शिखर है। जिला भौगोलिक रूप से दो प्राकृतिक प्रभागों में विभाजित है, जो केंद्रीय पठार और निचले पठार हैं। केंद्रीय पठार बगोदरब्लॉक के पास जिले के पश्चिमी भाग को छूता है। निचले पठारों की सतह लहरदार है और औसत ऊंचाई 1300 फीट है। उत्तर और उत्तर-पश्चिम में, निचले पठार काफी समतल पठार बनाते हैं ये तब तक घाटों तक नहीं पहुँचते जब तक कि वे लगभग 700 फीट नीचे नहीं आ जाते। जिले में विशाल वन मौजूद है जो समान रूप से वितरित हैं। साल का पेड़ यहां का सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख पेड़ है। अन्य पेड़ों में बांस, सेमल, महुआ, पलाश, कुसुम, कैंड, एशियाई नाशपाती और भेलवा हैं।

गिरिडीह जिला दो मुख्य जलधाराओं- बराकर और उसरी नदियों में विभाजित है। गिरिडीह खनिज संसाधनों से समृद्ध है और भारत में धातुकर्म कोयले के सर्वोत्तम गुणों में से एक के साथ कई बड़े कोयला क्षेत्र हैं। तिसरी और गावांप्रखंडों के पास अभ्रक बहुतायत में पाया जाता है। अभ्रक न केवल झारखंड बल्कि भारत और अन्य देशों के लिए भी महत्वपूर्ण है।

#### नवादा बिहार

नवादा जिला बिहार के दक्षिणी भाग में स्थित है और बिहार राज्य के अड़तीस जिलों में से एक है। नवादा शहर इस जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है। यह 2,494 वर्ग किलोमीटर (963 वर्ग मील) के क्षेत्र में फैला हुआ है और 24.88°एन 85.53°ई अक्षांश पर स्थित है। 1845 में, इसे गया जिले के उपखंड के रूप में स्थापित किया गया था। दिनांक 26 जनवरी 1973 को नवादा को एक अलग जिले के रूप में गठित किया गया था। माना जाता है कि नवादा नाम की उत्पत्ति पुराने नाम नौ-आबाद या नए शहर के अपभ्रंश से हुई है, जिसे पहले 'द एलियट मार्केट (बाजार)' के नाम से जाना जाता था। इसे खुरी नदी द्वारा दो भागों में विभाजित किया गया है, बाएं किनारे का हिस्सा पुराना है, जबकि दाहिने किनारे पर इसका आधुनिक हिस्सा है और इसमें सार्वजनिक कार्यालय, उप-जेल, औषधालय और स्कूल शामिल हैं। देशरत्न डॉ. राजेन्द्र प्रसाद द्वारा उद्घाटित एवं श्री जयप्रकाश नारायण द्वारा पोषित प्रसिद्ध सर्वोदय आश्रम ने नवादा का गौरव बढ़ाया है।

#### चित्र

नवादा शहर दक्षिण बिहार पर मगध डिवीजन में स्थित है। यह उत्तर में नालंदा जिले से, पूर्व में शेखपुरा और जमुई जिले से, पश्चिम में गया जिले से और झारखंड राज्य के कोडरमा और गिरिडीह जिले जिले की दक्षिणी सीमा पर स्थित है।

नवादा ऐतिहासिक निकटता का स्थान रहा है, राजा बृहद्रथ ने इस क्षेत्र में मगध साम्राज्य की स्थापना की थी और इस क्षेत्र में बृहद्रथ, मौर्य, कानाह और गुप्त जैसे कई राजवंशों का वर्चस्व था, जिन्होंने मध्य और उत्तर भारत के कई राज्यों पर शासन किया था। हंडिया का सूर्य नारायण मंदिर सबसे पुराना है और इसे द्वापरयुग का माना जाता है। हंडिया का सूर्य नारायण मंदिर मगध के राजा जरासंध द्वारा बनवाया गया था, जरासंध की बेटी धनिया कुष्ठ रोग से पीड़ित थी और भक्ति के लिए हर दिन इस पवित्र स्थान पर रहती थी। मिथक जाता है; वह पास के तालाब में स्नान करती थी और ठीक हो जाती थी। इसके तुरंत बाद धनिया ने माँ भगवती के पूजा स्थल को गाँव के पास और धनिया पहाड़ी पर एक शिवलिंग स्थापित किया, जो मुख्य मंदिर से कुछ दूर है। हंडिया किसी के लिए भी जाने के लिए सबसे उल्लेखनीय जगह है। यह उत्तर की ओर राजगीर पर्वत और दक्षिण में नदी से खूबसूरती से घिरा हुआ है।

नवादा की गोद में स्थित सीतामढ़ी स्थान तक धन्य हो गया था जब सीताजी ने अपने वनवास काल में पुत्र लव को जन्म दिया। बरात गांव महान महाकाव्य निर्माता बाल्मीकि का निवास स्थान था। नवादा के रजौली उप-मंडल के दक्षिणी भाग में, सप्त-ऋषि ने अपना निवास स्थान बनाया था। महान भगवान बुद्ध और भगवान महावीर, जिन्हें एशिया की पहली रोशनी माना जाता है, इस जगह को बहुत पसंद करते थे। राजा बिम्बिसार सबसे प्रिय शिष्यों में से एक थे। वास्तव में इस जगह का हर इंच और कण-कण इस बात का गवाह है कि भगवान बुद्ध और भगवान महावीर ने इस जगह पर अपने मिशन को पहली प्राथमिकता दी थी। भगवान बुद्ध के ऐतिहासिक उपदेश का यहां पहली बार आनंद लिया गया और उनका आदर किया गया था। नवादा जिले में वारिसलीगंज से छह मील उत्तर में स्थित गाँव दरियापुर पार्वती है। कपोतिका बोध बिहार के खंडहर और अवशेष हैं। इसके केंद्र में अवलोकितेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर है।

जिले का क्षेत्र बिहार के जोन-IIIबी, दक्षिण पश्चिम जलोढ़ मैदान कृषि जलवायु क्षेत्र में पड़ता है। नवादा जिले में कोई महत्वपूर्ण बारहमासी नदी नहीं है। जिले की स्थलाकृति मैदानी है और झारखंड से सटे सीमावर्ती क्षेत्र चट्टानी इलाके और पहाड़ वाले हैं।

जिले की जलवायु प्रकृति में उपोष्णकटिबंधीय से उप-आर्द्र है। जिले में सर्दी के मौसम में कड़ाके की ठंड पड़ती है तो दूसरी तरफ गर्मियों में बहुत गर्मी पड़ती है। मई के अंत से मानसून के पहले ब्रेक तक आमतौर पर रातें गर्म होती हैं। जलवायु आम तौर पर गर्म और शुष्क होती है, सर्दियों का तापमान 16°C से 4°C तक कम होता है जबकि गर्मियों के दौरान पारा 46°C तक बढ़ जाता है। बरसात के मौसम में यह ठंडा हो जाता है और तापमान 35°C तक गिर जाता है। मानसून कभी-कभी जून के तीसरे सप्ताह में अस्त हो जाता है और यह सितंबर के अंत तक रहता है। नवादा जिले में औसत वार्षिक वर्षा 996.5 मिमी होती है।

जिले की मुख्य नदियाँ ककोलत, तिलैया और धनर्जय द्वारा सकरी, खुरी, पंचने और भुसरी हैं। इन नदियों का तल उथला, चौड़ा और रेतीला है। वे आमतौर पर अल्पकालिक रहती हैं और वस्तुतः बरसात के मौसम में उफान पर होती हैं।

**एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (आईसीडीएस) के तहत आंगनवाड़ी:** 0-6 वर्ष की आयु के बच्चे भारत की जनसंख्या (2011 की जनगणना) के लगभग 158 मिलियन हैं। ये बच्चे देश के भविष्य के मानव संसाधन हैं जिन्हें उचित पोषण और देखभाल की आवश्यकता है। राज्य सरकारों के माध्यम से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इस योजना को लागू कर रहा है। एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना। आईसीडीएस भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है और बचपन की देखभाल और विकास के लिए दुनिया के सबसे बड़े और अनूठे कार्यक्रमों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। यह अपने बच्चों और नर्सिंग माताओं के लिए देश की प्रतिबद्धता का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है, एक ओर प्री-स्कूल गैर-औपचारिक शिक्षा प्रदान करने और कुपोषण, रुग्णता, कम सीखने की क्षमता और मृत्यु दर के दुष्चक्र को तोड़ने की चुनौती के जवाब में अन्य। योजना के तहत लाभार्थी 0-6 वर्ष की आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं हैं। ये सेवाएं एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका द्वारा प्रबंधित आंगनवाड़ी नामक एक बस्ती/ग्राम स्तर के केंद्र में प्रदान की जाती हैं।

बस्ती में मौजूद आंगनवाड़ी

बस्ती स्तर पर आंगनवाड़ी की उपस्थिति से शुरू होकर तीनों जिलों ने एक अलग तस्वीर पेश की। गिरिडीह जिले में, लगभग 65% आबादी की आंगनवाड़ी तक पहुंच है। हालांकि, एक तिहाई से अधिक आबादी (लगभग 33.6%) की आंगनवाड़ी तक पहुंच नहीं थी। इस जिले की आबादी को एक नगण्य प्रतिशत यानी 1.4% इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका।

चित्र

हालाँकि, नवादा जिले गिरिडीह से बेहद अलग थे। दोनों जिलों में, 80% से अधिक बस्तियों में आंगनवाड़ी तक पहुंच है। कोडरमा में, 81.5% बस्तियों की आंगनवाड़ी तक पहुंच है। नवादा में, 87.8% बस्तियों की आंगनवाड़ी तक पहुंच है। कोडरमा में केवल 18% और नवादा में लगभग 11% बस्तियों में बस्ती के भीतर कोई आंगनवाड़ी केंद्र नहीं था। यहां पर दर्शाया गया ग्राफ इसी तथ्य पर प्रकाश डालता है। इसके लिए आगे जांच करने की जरूरत है।

### **गांव में कुपोषण के मामले**

क्या गांव में पिछले 6 माह के दौरान 0 से 6 वर्ष के बच्चों में कोई कुपोषण का मामला सामने आया है?

चित्र

**आंगनवाड़ी में रिपोर्ट किए गए कुपोषण के मामले:** सर्वेक्षण में कुपोषण के मामलों से संबंधित जानकारी भी हासिल की गई। गिरिडीह और कोडरमा के मामले में, सर्वेक्षण क्षेत्र में क्रमशः 14% और 19% बस्तियों/गांवों में कुपोषण के मामले रिपोर्ट किए गए। नवादा के मामले में, 69% बस्तियों/गांवों से सूचना मिली है कि यहाँ पर कुछ बच्चे कुपोषित हैं। पोषण की समस्या को दूर करने के लिए आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ पोषण अभियान सक्रिय रूप से चलाया जा रहा है। यह मुद्दा परिवारों और समुदायों के साथ स्थानीय/आबादी स्तर के हस्तक्षेप पर सभी हितधारक विभागों, विकास भागीदारों और गैर सरकारी संगठनों के प्रभावी सहयोग की मांग करता है।

### **आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों को पूरक पोषाहार**

यहाँ पर हैरानी और आश्चर्य की बात यह थी कि गिरिडीह के मामले में केवल 50% केंद्रों में और कोडरमा के मामले में लगभग 61% पूरक पोषाहार प्रदान किया जा रहा था। गिरिडीह के 30% मामलों और कोडरमा के 15% मामलों में यह उपलब्ध नहीं कराया जा रहा था। नवादा ने निराशाजनक तस्वीर पेश की जिसमें केवल 31% मामलों ने सकारात्मक जवाब दिया और 51% लोगों ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। यहां पर एक और आश्चर्यजनक तथ्य सामने आया था कि लगभग 10% से लेकर 18% तक उत्तरदाता इस सवाल का सभी जिलों से उत्तर नहीं दे सके थे।

चित्र

नवादा में आंगनवाड़ी केंद्रों में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों के आंकड़े खराब मामले दिखाई दे रहे हैं। यहां पर केवल 25% बस्तियों में ही बच्चे प्री-प्राइमरी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। नवादा में मौजूद आंगनवाड़ी में लगभग 74% बच्चे पूर्व-प्राथमिक शिक्षा से वंचित थे। जबकि गिरिडीह और कोडरमा जिलों के मामले में यह आंकड़ा क्रमशः 61% और 74% के बीच रहा। गिरिडीह और कोडरमा के मामले में आंगनवाड़ी केंद्रों पर बस्तियों/गांवों के बच्चों को पूर्व-प्राथमिक शिक्षा प्रदान नहीं

करने का प्रतिशत क्रमशः 35% और 22% था। किये गये सर्वेक्षण के कुल नमूनों के 1-3% मामलों में कोई डेटा उपलब्ध नहीं था।

### **स्कूल से बाहर की किशोरियाँ**

सर्वेक्षण में आंगनवाड़ी लाभार्थियों के एक अन्य महत्वपूर्ण वर्ग किशोर लड़कियों पर भी ध्यान दिया गया। निम्नलिखित डेटा 15-18 वर्ष की आयु की लड़कियों के मामले में एक तस्वीर का प्रतिनिधित्व करता है जो आंगनवाड़ी योजना के तहत उन्हें उपलब्ध विभिन्न लाभों का लाभ उठा सकती थीं।

यह जानना अनिवार्य है कि आंगनवाड़ी सुविधाओं का लाभ लेने वाली स्कूल न जाने वाली लड़कियों की संख्या कितनी है। गिरिडीह में ड्रॉपआउट किशोरियों की यह संख्या 1450 थी; और कोडरमा और नवादा के लिए यह क्रमशः 3538 और 212 के बीच रहा है।

### **पोषण/जीवन कौशल/व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में भाग लेने वाली लड़कियाँ**

1) जब आंगनवाड़ी में पोषण या जीवन कौशल या व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाओं का लाभ उठाने की बात आई तो नवादा जिले की ड्रॉपआउट लड़कियों ने खराब प्रदर्शन किया, यहाँ पर यह देखना हतोत्साहित करने वाला था। नवादा जिले के 13% बस्तियों/गाँवों में बहुत कम किशोरियाँ आंगनवाड़ी केंद्रों का लाभ उठा रही हैं। 78% गाँवों में तो इन सुविधाओं से लड़कियों की एक बड़ी संख्या वंचित थी। लगभग 9% के मामले में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी। कोडरमा में भी स्थिति बेहतर नहीं थी, जहाँ केवल 36% बस्तियों में ही लड़कियाँ आंगनवाड़ी में भाग ले रही थीं; यहाँ पर 57% लड़कियाँ उपस्थित ही नहीं थीं और लगभग 7% के मामले में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी। गिरिडीह में स्थिति थोड़ी बेहतर थी जहाँ लगभग 57% बस्तियों में पोषण/जीवन कौशल/व्यवसाय प्रशिक्षण की सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए लड़कियाँ महीने में कम से कम एक बार आंगनवाड़ी में भाग ले रही थीं। 34% मामले अभी भी छूटे हुए थे और लगभग 9% के मामले में इस संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी।

क्या सभी लड़कियाँ/ बालिकाएँ इन बस्तियों/गाँवों में महीने में कम से कम एक बार पोषण/जीवन कौशल/व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आंगनवाड़ी केंद्र में भाग ले रहीं हैं।

चित्र

व्यावसायिक और कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली किशोरियों का उद्देश्य रोजगार प्राप्त करना है।

चित्र

क्या किशोरियों (15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग में) को किसी प्रकार का व्यावसायिक/कौशल प्रशिक्षण प्राप्त होता है जो उन्हें इन बसावटों/गाँवों में नौकरी पाने में मदद कर सकता है?

जब किशोर लड़कियों को रोजगार पाने के उद्देश्य से व्यावसायिक और कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने की बात आती है तो उपर्युक्त ग्राफ एक बहुत ही गंभीर तस्वीर प्रस्तुत करता है। नवादा में स्थिति सबसे खराब थी जहां 99% लड़कियों के पास इस तरह के प्रशिक्षण के लिए कोई सुविधा नहीं थी। कोडरमा और गिरिडीह की स्थिति भी कुछ बेहतर नहीं है। कोई व्यावसायिक और कौशल प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करने वाली लड़कियों का प्रतिशत क्रमशः कोडरमा और गिरिडीह के लिए 93% और 84% था। गिरिडीह में केवल 15% और कोडरमा में लगभग 7% लड़कियां किसी न किसी प्रकार का व्यावसायिक और कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करती रहती हैं।

### **आंगनवाड़ी केंद्रों को चलाने में सहयोग देने/सहयोग करने वाले गैर सरकारी संगठन**

एकत्रित किये गये आंकड़ों से पता चलता है कि नवादा में आंगनवाड़ी के सहयोग से कोई एनजीओ काम नहीं कर रहा था। कोडरमा में लगभग 90% और गिरिडीह में, लगभग 80% मामलों में स्थिति समान थी अर्थात्, कोई भी एनजीओ आंगनवाड़ी के सहयोग से काम नहीं कर रहा था। हालांकि, गिरिडीह में कम से कम 20% मामलों में और कोडरमा में आठ प्रतिशत मामलों में, एक एनजीओ आंगनवाड़ी केंद्र चलाने में सहयोग देने के लिए सहयोग या सहयोग कर रहा था।

**क्या कोई गैर सरकारी संगठन आंगनवाड़ी केंद्र की गतिविधि को चलाने या मदद करने में सहयोग/संबद्ध है? (हां नहीं)**

चित्र

**6 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं:** सर्वेक्षण किए गए क्षेत्रों में बड़ी संख्या में बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। हालांकि, ये बच्चे ज्यादातर डीआईएसईडेटा के अनुसार स्कूल में नामांकित हैं। सर्वेक्षण के अनुसार, झारखंड के सर्वेक्षण क्षेत्र में 6 से 14वर्ष के आयु वर्ग के 4545 बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। इसी प्रकार नवादा जिले के सर्वेक्षण क्षेत्र में 649 बच्चे स्कूल नहीं जाने की सूचना देते हैं। यह भी देखा गया कि इन बच्चों को नियमित रूप से स्कूल आना सुनिश्चित करने के लिए पहल की जा रही है। हालांकि, स्कूल में बच्चों की उपस्थिति और उनके सीखने को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी की आवश्यकता है।

**6 से 14वर्ष की आयु के विद्यालयों में जाने वाले बच्चों की स्थिति**

चित्र

**स्कूल नहीं जाने के कारण:** उत्तरदाताओं द्वारा स्कूल न जाने के कई कारण बताए गए हैं, जिनमें घर पर काम करना, घर के कामों में मदद करना, वैतनिक मजदूर, अप्रेंटिस, आकांक्षा की कमी और रुचि की कमी आदि जैसे कई कारण शामिल रहे हैं।

### **दोपहर का भोजन (मिड-डे-मिल)**

**मध्याह्न भोजन की उपलब्धता :** स्कूली शिक्षा का यह पहलू बहुत उत्साहजनक रहा था। सर्वेक्षण से यह पता चलता है कि लगभग 98% स्कूलों में नवादा और कोडरमा के मामले में उचित मध्याह्न भोजन प्रदान किया जाता है। गिरिडीह के मामले में, 95% स्कूलों में मध्याह्न भोजन ठीक से उपलब्ध कराया जाता है। शेष लगभग 2% नवादा और कोडरमा में, 5% गिरिडीह में; सुधार के प्रयास साफ नजर आ रहे हैं।

चित्र

यहाँ 15-18 वर्ष के किशोर लड़के एक बड़ी संख्या में हैं, जो स्कूल नहीं जा रहे हैं

क्या 15 से 18वर्ष की आयु के किशोर लड़के हैं जो बस्ती/गाँव के किसी स्कूल में नहीं जाते हैं।

चित्र

तीन जिलों की एक संयुक्त तस्वीर से पता चलता है कि इन जिलों के लगभग 52% लड़के ही स्कूल जाते हैं। हालाँकि, एक और बड़ा हिस्सा यानी 42% छूट जाता है क्योंकि वे स्कूल नहीं जाते हैं। अलग-अलग जिलों को देखें तो गिरिडीह में 62% लड़के स्कूल जाते हैं लेकिन 38% अभी भी स्कूल नहीं जाते हैं। कोडरमा के मामले में, 53% स्कूल जाते हैं जबकि 47% स्कूल नहीं जाते हैं। जहाँ तक नवादा का संबंध है, इस आयु वर्ग में केवल 33% स्कूल जाते हैं जबकि 67% बहुमत स्कूल नहीं जाते हैं।

### **रोजगारपरक व्यावसायिक प्रशिक्षण**

तीन जिलों के संयुक्त आंकड़ों को देखें, लगभग 92% लड़कों को किसी भी प्रकार का व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होता है जो भविष्य में उन्हें नौकरी के बाजार में मदद कर सके। अलग-अलग जिला स्तर पर स्थिति समान है। उत्तरदाताओं ने क्रमशः कोडरमा और नवादा के मामले में 93% और 92% में नकारात्मक उत्तर दिया। गिरिडीह के मामले में, यह 86% है।

क्या इन लड़कों को किसी प्रकार का व्यावसायिक/कौशल प्रशिक्षण प्राप्त होता है जो उन्हें नौकरी पाने में मदद कर सकता है? (हां नहीं)

चित्र

बस्तियाँ जहाँ बच्चे ढाबरा/अभ्रक इकट्ठा करने जाते हैं (6-14 वर्ष और 15-18 वर्ष)

चित्र

(नोट- कोडरमा में 45 बच्चे अश्रक एकत्र करने के लिए बस्ती में जाते हैं और 8 बस्तियों में इस तथ्य की पुष्टि की आवश्यकता है)

**बस्तियों में काम करने वाले गैर सरकारी संगठन और कुछ उल्लेखनीय कार्य**

| क्र.सं. | एनजीओ का नाम                     | झारखंड |         | बिहार | कुल |
|---------|----------------------------------|--------|---------|-------|-----|
|         |                                  | कोडरमा | गिरिडीह | नवादा |     |
| 1       | बीबीए (बचपन बचाओ                 | 144    | 76      | 77    | 297 |
| 2       | बीकेएस (भारतीय किसान             | 32     | 8       | 2     | 42  |
| 3       | बालमित्र पंडरिया                 | 00     | 01      | 00    | 01  |
| 4       | बाल बिकासओहरा                    | 00     | 00      | 03    | 03  |
| 5       | चाइल्डफंड इंडिया                 | 00     | 01      | 00    | 01  |
| 6       | दलित विकास बिंदू                 |        | 03      | 00    | 03  |
| 7       | दामोदर महिला मंडल                | 01     | 00      | 00    | 01  |
| 8       | फाइवब्रादर्स                     | 02     | 00      | 00    | 02  |
| 9       | ज्ञान विकास समिति                | 02     | 00      | 00    | 02  |
| 10      | होली फैमिली                      | 02     | 00      | 00    | 02  |
| 11      | आईजीईपी                          | 07     | 32      | 02    | 41  |
| 12      | एमकेएस                           | 01     | 00      | 00    | 01  |
| 13      | नाबार्ड                          | 01     | 00      | 00    | 01  |
| 14      | यूपीजीबन संस्थान                 | 01     | 00      | 00    | 01  |
| 15      | वैश्विक दृष्टि                   | 01     | 00      | 00    | 01  |
| 16      | साक्षरता समिति                   | 01     | 00      | 00    | 01  |
| 17      | जागो फाउंडेशन                    | 00     | 10      | 00    | 10  |
| 18      | झारखंड महिला<br>उत्थान केंद्र    | 02     | 00      | 00    | 02  |
| 19      | प्रधान महिला<br>मंडल             | 02     | 00      | 00    | 02  |
| 20      | कर्म सखी समूह                    | 01     | 00      | 00    | 01  |
| 21      | नव भारत जागृति<br>केंद्र         | 13     | 00      | 00    | 13  |
| 22      | राष्ट्रीय झारखंड सेवा<br>संस्थान | 26     | 00      | 00    | 26  |
| 23      | सवेरा फाउंडेशन                   | 00     | 12      | 00    | 12  |
| 24      | समर्पण                           | 11     | 00      | 00    | 11  |

नोट:लिस्टिंग सर्वेक्षण डेटा और एनजीओ से प्राप्त जानकारी के अनुसार संकलित की गई है

कई गैर सरकारी संगठन तीन जिलों में काम कर रहे होंगे लेकिन खनन क्षेत्र में उनकी उपस्थिति संख्या के मामले में सीमित है। यह पाया गया कि अभ्रक खनन क्षेत्रों में 24 एनजीओ काम कर रहे हैं जहां सर्वेक्षण किया गया था। कोडरमा में एनजीओ की उपस्थिति अधिकतम है क्योंकि जिले में कथित तौर पर 18 एनजीओ काम कर रहे हैं, गिरिडीह में 7 एनजीओ मौजूद हैं और नवादा (रजौलीब्लॉक) में केवल 4 एनजीओ काम कर रहे हैं।

क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों द्वारा किए गए कुछ उल्लेखनीय कार्य:

स्कूल चलाने के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और केंद्र के साथ-साथ स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना, आईजीईपी की अवधारणा उल्लेखनीय पाई गई है। इसी तरह, भागीदारी के अधिकार को सुनिश्चित करके बच्चों को सशक्त बनाने के माध्यम से गांवों को बाल अनुकूल बनाने की अवधारणा- बाल मित्र ग्राम (बीएमजी) या बाल अनुकूल गांव कैलाश सत्यार्थीचिल्ड्रन फाउंडेशन (केएससीएफ) की एक पहल है जो बच्चों को खानों से बाहर निकालने का काम करती है। और उन्हें स्कूल में डालने के साथ-साथ गाँव के बुनियादी ढांचे, शिक्षा तक पहुँच, आंगनवाड़ी केंद्रों, मध्याह्न भोजन आदि तक पहुँच बढ़ाने में मदद करें। इसके अलावा, स्कूल से बाहर के बच्चों को फिर से जोड़ना और भारतीय किसान संघ द्वारा शिक्षण सामग्री का वितरण उल्लेखनीय भी पाया गया।

प्रमुख सिफारिशें

1. उत्तरदायित्व का सिद्धांत: आयोग का मानना है कि अभ्रक खनन क्षेत्रों में जवाबदेही के सिद्धांत की अवधारणा जिसमें व्यावसायिक घरानों की जिम्मेदारी अनैतिक प्रथाओं और स्थानीय कानूनों के पालन से मुक्त आपूर्ति श्रृंखला की जिम्मेदारी लेने की है। हालांकि, यह देखा गया कि इस क्षेत्र से अभ्रक का उपयोग करने वाले उद्योगों सहित हितधारकों द्वारा सिद्धांत की उपेक्षा की गई है।
2. अभ्रक खनन क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के प्रमाणन की प्रथा पूरे क्षेत्र को कवर नहीं कर रही थी। उसी समय यह भी देखा गया कि कुछ उद्योग आपूर्ति श्रृंखला को साफ करने के लिए जिम्मेदारी साझा करने का प्रयास करते हैं, हालांकि, भूमि के कानूनों में निर्धारित संबंधित हितधारकों, निगरानी अधिकारियों के साथ अभिसरण की कमी के कारण दृष्टिकोण उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रहा है।
3. बाल श्रम अधिनियम के प्रावधानों का कार्यान्वयन: बाल और किशोर (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986, इसके संशोधन अधिनियम 2016 और नियम 2017 के कार्यान्वयन में विशेष रूप से नियम 2 (बी) (2) के तहत प्रावधान हैं।
4. अभ्रक खनन पर राज्य की पहल: इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अभ्रक अब एक गौण खनिज है, एक वादा जिसे अब केंद्र सरकार ने पूरा किया है, राज्य सरकार के नियंत्रण में आता है; अभ्रक खनन को अन्य लघु खनिजों की तरह औपचारिक रूप दिया जा सकता है। हालांकि, डंपिंग क्षेत्र के लिए निविदा प्रक्रिया को औपचारिक रूप देने की राज्य की पहल की काफी सराहना की जा रही है,

हालांकि, उद्योगों, राज्य और क्षेत्रों के लिए अधिक आकर्षक प्रावधानों की आवश्यकता है। कुछ प्रमुख सुझाव जो एक स्थायी कारोबारी माहौल बना सकते हैं उनमें शामिल हैं;

- (1) उठाने की अवधि का कार्यकाल बढ़ाना चाहिए,
- (2) प्रदर्शन गारंटी का मूल्य उचित होना चाहिए
- (3) किस्त का मूल्य पूरी अवधि में समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए
- (4) स्टार्ट-अप्स को भारत सरकार की नीति के अनुसार छूट दी जानी चाहिए जो क्षेत्र के युवाओं और युवा उद्यमियों के लिए एक मंच प्रदान कर सकती है।

यह व्यवसाय में आने वाले अधिक लोगों को आकर्षित करने में मदद कर सकता है जो बदले में बेहतर वेतन के साथ अधिक औपचारिक रोजगार पैदा करने में मदद करेगा। नतीजतन, यदि परिवार बेहतर मजदूरी अर्जित करते हैं तो बच्चों को बाल श्रम या अश्रमिक एकत्र करने के बजाय स्कूल भेजा जाएगा।

आयोग ने यह अवलोकन किया है कि जहां संगठित क्षेत्र के व्यवसाय असंगठित क्षेत्र पर निर्भर करते हैं, बाल श्रम और अनैतिक प्रथाओं के मुद्दे की संभावना अधिक हो जाती है, जबकि एक असंगठित क्षेत्र औपचारिक हो जाता है, इन मुद्दों को संबोधित किया जा सकता है, इसके अलावा, औपचारिक क्षेत्र बेहतर मजदूरी लाता है, नियमित रोजगार, अधिक औपचारिक आर्थिक गतिविधियाँ जिनमें स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और सामाजिक-आर्थिक सामंजस्य बनाए रखने में मदद मिलती है।

5. कार्य योजना: अश्रमिक खनन क्षेत्रों में बच्चों के मुद्दों को हल करने और उनके परिवारों को सार्वजनिक सेवाओं के प्रभावी वितरण को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक कार्य योजना की आवश्यकता है। कार्य योजना में बसावट/ग्राम स्तर, पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर अभिसरण कार्रवाई के लिए मंच के साथ सभी हितधारकों और सेवा प्रदाताओं की भूमिकाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए।

6. स्कूल में शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करें विभाग इस आयु वर्ग के बच्चों के संवैधानिक अधिकारों के रूप में विशेष रूप से 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की शत-प्रतिशत उपस्थिति स्कूल में सुनिश्चित करें। स्कूल में उपस्थिति की निगरानी के लिए डिजिटल तकनीकों का उपयोग करने का सुझाव दिया गया है।

7. **गांवों/बस्तियों में विशेष अभियान:** प्रशासन उन गांवों/बस्तियों में विशेष अभियान चला सकता है, जहां बच्चों के स्कूल से बाहर होने और बच्चों के अश्रमिक एकत्र करने में शामिल होने की सूचना है।

8. **क्षेत्र में बाल श्रम का उन्मूलन:** झारखंड और बिहार राज्य के अश्रमिक खनन क्षेत्रों में बाल श्रम को समाप्त करने के लिए एक विशेष अभियान।

9. **अभ्रक खनन में आपूर्ति श्रृंखला बाल श्रम मुक्त होगी:** अभ्रक खनन और उद्योग की आपूर्ति श्रृंखला को बाल श्रम से मुक्त किया जाएगा। किसी भी बच्चे को अभ्रक खनन प्रक्रिया और कबाड़ एकत्र करने के किसी भी भाग में नहीं लगाया जाएगा। गैर-सरकारी संगठनों/विकास एजेंसियों को स्थानीय और जिला प्रशासन के साथ-साथ उद्योगों के साथ मिलकर अभ्रक की आपूर्ति श्रृंखला को बाल श्रम मुक्त बनाने की रणनीति तैयार करने के लिए काम करना चाहिए।
10. **बच्चों से अभ्रक खरीदने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई:** बच्चों से अभ्रक खरीदने वाले खरीदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। उनके खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की जाए।
11. **युवाओं के कौशल विकास के लिए खनन क्षेत्र के लिए कौशल परिषद की भागीदारी:** क्षेत्र के युवाओं को खनन से संबंधित विभिन्न कौशलों पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए खनन क्षेत्र के लिए कौशल परिषद को शामिल करने पर विचार किया जा सकता है।
12. **बच्चों के लिए पोषण:** स्थानीय रूप से उपलब्ध पौष्टिक भोजन का उपयोग करके और पोषण से संबंधित जागरूकता पैदा करने वाले बच्चों में कुपोषण के मुद्दों को दूर करने के लिए पोषण अभियान के राष्ट्रीय कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है।
13. **पेंसिल योजना:** कोडरमा और गिरिडीह जिले में पेंसिल योजना (बाल श्रम न करने के प्रभावी प्रवर्तन के लिए मंच) शुरू की जा सकती है और इसे ठीक से लागू किया जा सकता है ताकि क्षेत्रों में बाल श्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद मिल सके।
14. **आवासीय विद्यालय और छात्रावास:** अभ्रक खनन क्षेत्रों में आवासीय विद्यालय और छात्रावास की सुविधा होनी चाहिए ताकि उन बच्चों को समायोजित किया जा सके जो स्कूल नहीं जा रहे हैं। इससे उन बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी जो स्कूल से बाहर हैं या स्कूल नहीं जा रहे हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) और आश्रम विद्यालय जैसी योजनाओं के तहत अधिक आवासीय विद्यालय क्षेत्रों में स्थापित किए जा सकते हैं।
15. **प्रमाणन:** अभ्रक उद्योग के लिए बाल श्रम मुक्त आपूर्ति श्रृंखला प्रक्रिया के लिए प्रमाणन को प्रोत्साहित किया जा सकता है। इससे उद्योग में जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
16. **शिक्षकों का संवेदीकरण:** शिक्षक बच्चों की शिक्षा और भलाई में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए, शिक्षकों को बच्चों के सभी महत्वपूर्ण मुद्दों और प्रासंगिक अधिनियमों विशेष रूप से बाल श्रम (निषेध और विनियमन अधिनियम, 2016 और नियम 2017, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015, शिक्षा का अधिकार अधिनियम) पर उन्मुख होना चाहिए। 2009 और यौन अपराधों से बच्चों की रोकथाम (पोस्को) अधिनियम, 2012।
17. **एनजीओ का अभिसरण:** यह देखा गया कि एनजीओ द्वारा काम का दोहराव है क्योंकि एक से अधिक एनजीओ कुछ क्षेत्रों / गांवों में समान मुद्दों पर काम कर रहे हैं। गैर-सरकारी संगठनों के लिए

उपलब्ध संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए प्रयासों के दोहराव के मुद्दों को संबोधित करने की आवश्यकता है। बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य आयोग (एससीपीसीआर) गैर सरकारी संगठनों की निगरानी और मार्गदर्शन करना पसंद कर सकता है जहां सेवाओं की बहुत आवश्यकता होती है और प्रयासों और संसाधनों के दोहरापन को हतोत्साहित करता है। इसके अलावा, गैर सरकारी संगठनों को अपने कार्य क्षेत्र की रिपोर्ट जिला प्रशासन को देनी चाहिए ताकि जिले में गैर सरकारी संगठनों की उपस्थिति पर जिला स्तर पर एक स्पष्ट तस्वीर खींची जा सके। इससे जिला प्रशासन को आवश्यकता के अनुसार विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कौशल विकास आदि क्षेत्रों में गैर सरकारी संगठनों को शामिल करने में मदद मिलेगी।

**18. सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत विशेष प्रशिक्षण केंद्र (एसटीसी):** सर्व शिक्षा अभियान के ढांचे के तहत प्रदान किए गए विशेष प्रशिक्षण केंद्र (एसटीसी) की योजना क्षेत्रों में स्थापित की जा सकती है। यह उल्लेख किया जा सकता है कि क्षेत्रों में बच्चों को स्कूल न जाने की स्थिति को देखते हुए ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता है। यह इन बच्चों को औपचारिक स्कूल या ओपन स्कूलिंग से जोड़ने में सेतु का काम करेगा।

**19. कौशल विकास केंद्र** अभ्रक खनन क्षेत्रों में कौशल विकास केंद्र स्थापित किए जा सकते हैं। केंद्रों के तहत कौशल कार्यक्रम राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के अनुसार होना चाहिए जो एक योग्यता-आधारित ढांचा है जो ज्ञान, कौशल और योग्यता के स्तरों की एक श्रृंखला के अनुसार सभी योग्यताओं का आयोजन करता है। यदि आवश्यक हो, तो राष्ट्रीय कौशल योग्यता समिति (छैफब) 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश या दिशा-निर्देश निर्धारित कर सकती है, जो कौशल ढांचे के अनुसार कौशल हासिल करने के लिए उनके लिए एक नुकसानदेह श्रेणी है।

**20. जिला खनिज फाउंडेशन:** खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 के तहत प्रदान किए गए प्रावधान के अनुसार; खनन संबंधी कार्यों से प्रभावित जिले में जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) की स्थापना की जा रही है। फाउंडेशन को खदानों से 10 फीसदी रॉयल्टी मिलती है और फंड को खनन क्षेत्रों में सामाजिक बुनियादी ढांचे और सुविधाओं पर खर्च किया जा रहा है। इसलिए, क्षेत्र के विकास और बच्चों के लिए सामाजिक बुनियादी ढांचे के लिए फंड का लाभ लेने की संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं।

### **बच्चों के लिए नीति और एमडीविधायी ढांचा**

#### **प्रमुख मील के पत्थर**

#### **प्रमुख नीतियां**

- बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति, 1974
- अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष (आईवाईसी), 1979 का प्रचार और गोद लेना
- राष्ट्रीय; शिक्षा नीति, 1986
- 1990 के विश्व बाल जीवन रक्षा और विकास लक्ष्यों, 1990 को अपनाना

- संयुक्त राष्ट्र सीआरसी, 1992 में प्रवेश
- राष्ट्रीय पोषण नीति 1993
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2002
- बच्चों के लिए राष्ट्रीय चार्टर, 2003
- बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना, 2005
- बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति 2013
- राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) नीति 2013
- नेशनल अर्लीचाइल्डहुडकेयर एंड एजुकेशन (ईसीसीई) करिकुलमफ्रेमवर्क 2014
- भारत नवजात कार्य योजना 2014

### प्रमुख विधान

- गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पीसीपीएनडीटी) अधिनियम, 1994
- बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005
- बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006
- खाद्य सुरक्षा और मानक (थै) अधिनियम, 2006
- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009
- यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013
- किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015
- आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016
- बाल श्रम (निषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016

### बाल श्रम के मुद्दों के समाधान के लिए स्थापित तंत्र और कार्यक्रम

आजादी के बाद से भारत ने बाल श्रम पर कई कानून पारित किए हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों और अन्य खतरनाक रोजगारों में रोजगार पर रोक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का वादा किया गया है।

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई), 2009: 2009 में, भारत ने निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) पारित किया। बाद में भारत के संविधान में एक खंड जोड़ा गया जिससे यह एक मौलिक अधिकार बन गया और इस प्रकार इसके कार्यान्वयन को मजबूत किया गया। इसने निजी स्कूलों को कम सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चों को बाल श्रम को रोकने और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आसान और मुफ्त पहुंच प्रदान करने की जिम्मेदारी सौंपी।

**बाल श्रम (निषेध और रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2016**ः भारत सरकार ने बाल श्रम मुक्त समाज की दिशा में दृढ़ता से आगे बढ़ने के लिए विभिन्न उपायों की शुरुआत की है और जमीनी स्तर पर एक बहुआयामी रणनीति को लागू किया है। बाल श्रम मुक्त समाज के प्रयास में एक ऐतिहासिक कदम अगस्त 2016 में बाल श्रम (निषेध और रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2016 का अधिनियमन था। यह सभी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रावधान करता है। और खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में किशोरों (14-18 वर्ष) के रोजगार पर रोक लगाता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई), 2009 के तहत रोजगार में प्रवेश की आयु को अनिवार्य शिक्षा की आयु से जोड़ा गया है।

अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन की सुविधा के लिए, भारत सरकार ने हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद बाल श्रम (निषेध और विनियमन) केंद्रीय नियमों में संशोधन को भी अधिसूचित किया है। पहली बार नियम बाल और किशोर श्रमिकों की रोकथाम, निषेध, बचाव और पुनर्वास के लिए व्यापक और विशिष्ट रूपरेखा प्रदान करते हैं। परिवार एवं परिवार के उद्यमों में सहायता से संबंधित मुद्दों तथा बच्चे के संबंध में परिवार की परिभाषा को स्पष्ट करने के लिए नियमों में विशिष्ट प्रावधान शामिल किए गए हैं।

इसके अलावा, यह उन कलाकारों के लिए सुरक्षा उपाय भी प्रदान करता है जिन्हें काम के घंटे और काम करने की स्थिति के संदर्भ में अधिनियम के तहत काम करने की अनुमति दी गई है। अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन और अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए नियम प्रवर्तन एजेंसियों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को शामिल करते हुए विशिष्ट प्रावधानों के लिए प्रदान करते हैं। खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं की अनुसूची पर मुद्दों को स्पष्ट करने के लिए, अनुसूची की समीक्षा की गई है और लगभग 118 व्यवसायों और प्रक्रियाओं की एक व्यापक सूची शामिल करने के लिए इरादा अधिसूचना जारी की गई है।

बाल श्रम निषेध एवं नियमन नियमों के अनुसार “जहां एक स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने वाला बच्चा स्कूल के प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक को सूचित किए बिना लगातार तीस दिनों तक अनुपस्थित रहता है, तो प्राचार्य या प्रधानाध्यापक ऐसी अनुपस्थिति की सूचना संबंधित नोडल को देंगे। अधिकारी (अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति)।”

**राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी)**ः सरकार ने देश के 12 बाल श्रम स्थानिक जिलों में कामकाजी बच्चों के पुनर्वास के लिए 1988 में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) योजना शुरू की थी। यह योजना पहली बार में खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में काम करने वाले बच्चों के पुनर्वास पर ध्यान देने के साथ एक क्रमिक दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास करती है। योजना के तहत खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में लगे बाल श्रमिकों का सर्वेक्षण किया गया है। पहचाने गए बच्चों को इन व्यवसायों और प्रक्रियाओं से वापस ले लिया जाना है और फिर उन्हें औपचारिक स्कूली शिक्षा प्रणाली में मुख्य धारा में शामिल करने के लिए विशेष स्कूलों में रखा जाना है। बाल मजदूरों के पुनर्वास के लिए विशेष स्कूल/पुनर्वास केंद्र खोलने के लिए जिला स्तर पर परियोजना समितियों को

पूरी तरह से वित्त पोषित किया जाता है। विशेष स्कूल/पुनर्वास केंद्र प्रदान करते हैं: गैर-औपचारिक/पुल शिक्षा, कुशल/व्यावसायिक प्रशिक्षण, मध्याह्न भोजन, प्रति माह प्रति बच्चा 150 रुपये की दर से वजीफा, 20 स्कूलों के समूह के लिए नियुक्त डॉक्टर के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं। इस योजना को हाल ही में इसकी गुणवत्ता में सुधार और देश के सभी जिलों में इसके कवरेज का विस्तार करने के मामले में मजबूत किया गया है। वर्तमान में कर्नाटक में एनसीएलपी परियोजनाओं के तहत 17 जिले और कर्नाटक में रामनगर (बेंगलूर ग्रामीण) और तमिलनाडु में कृष्णागिरी और सलेम सहित तमिलनाडु के 16 जिले शामिल हैं।

**चाइल्डलाइन1098:** संकट में बच्चों के लिए आपातकालीनहेल्पलाइन: एक फोन नंबर जो पूरे भारत में लाखों बच्चों के लिए आशा का संचार करता है, चाइल्डलाइन भारत की पहली 24 घंटे, मुफ्त, आपातकालीन फोन सेवा है, जो सहायता और सहायता की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए है। चाहे वह व्यक्ति संबंधित वयस्क हो या बच्चा, वह चाइल्ड लाइन सेवाओं का उपयोग करने के लिए टोलफ्री नंबर 1098 डायल कर सकता है। चाइल्ड लाइन न केवल बच्चों की आपातकालीन जरूरतों का जवाब देती है बल्कि उन्हें उनकी दीर्घकालिक देखभाल और पुनर्वास के लिए सेवाओं से भी जोड़ती है। सेवा, अब तक, इस तरह के कॉल के माध्यम से पूरे देश में तीस लाख से अधिक बच्चों तक पहुंच चुकी है। चाइल्ड लाइन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के बाल संरक्षण योजना के तहत चलाई जा रही है। एकीकृत चाइल्ड लाइन सामान्य रूप से सभी बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए काम करती है, लेकिन देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले सभी बच्चों पर विशेष ध्यान देती है, विशेष रूप से अधिक कमजोर वर्गों में, जिनमें सड़क पर रहने वाले बच्चे, असंगठित और संगठित क्षेत्रों में काम करने वाले बाल मजदूर और कमजोर बच्चों की कई अन्य श्रेणियां शामिल हैं।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की स्थापना मार्च 2007 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर ) अधिनियम 2005, संसद के एक अधिनियम (दिसंबर 2005) के तहत की गई थी। एनसीपीसीआर भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सीपीसीआर अधिनियम 2005 के तहत एक वैधानिक निकाय है। आयोग का अधिदेश यह सुनिश्चित करना है कि सभी कानून, नीतियां, कार्यक्रम और प्रशासनिक तंत्र भारत के संविधान और बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में निहित बाल अधिकारों के परिप्रेक्ष्य के अनुरूप हैं। बच्चे को 0 से 18 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है।

आयोग प्रत्येक क्षेत्र की विशिष्टताओं और शक्तियों का ध्यान रखते हुए, राज्य, जिला और ब्लॉक स्तरों पर बारीक प्रतिक्रियाओं के साथ-साथ राष्ट्रीय नीतियों और कार्यक्रमों में बहने वाले अधिकार-आधारित परिप्रेक्ष्य की कल्पना करता है। हर बच्चे को छूने के लिए, यह समुदायों और घरों में गहरी पैठ बनाने की कोशिश करता है और अपेक्षा करता है कि क्षेत्र में एकत्रित जमीनी अनुभवों को सभी अधिकारियों द्वारा उच्च स्तर पर ध्यान में रखा जाए। इस प्रकार आयोग राज्य के लिए एक अनिवार्य भूमिका, ठोस संस्था-निर्माण प्रक्रियाओं, स्थानीय निकायों और सामुदायिक स्तर पर

विकेंद्रीकरण के लिए सम्मान और बच्चों और उनकी भलाई के लिए बड़े सामाजिक सरोकार को देखता है।

**झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ( जेएससीपीसीआर )** : झारखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग (जेएससीपीसीआर ) की स्थापना 12 अक्टूबर, 2012 को बाल अधिकार संरक्षण आयोग (सीपीसीआर) अधिनियम, 2005, संसद के एक अधिनियम ( दिसंबर 2005)। झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ( जेएससीपीसीआर ) बाल अधिकार संरक्षण आयोग (सीपीसीआर) अधिनियम, 2005 के तहत एक वैधानिक निकाय है। आयोग का अधिदेश यह सुनिश्चित करना है कि सभी कानून, नीतियां, कार्यक्रम और प्रशासनिक तंत्र अनुरूप हैं। भारत के संविधान और राज्य में बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में प्रतिष्ठापित बाल अधिकार परिप्रेक्ष्य के साथ।

अनुबंध-1

### **मसौदा कार्य योजना - (कोडरमा में बैठक में चर्चा की जाएगी)**

#### **शिक्षा:**

सदस्यों को उनकी भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों के बारे में संवेदनशील बनाकर एसएमसी को मजबूत करना, इलाके में बच्चों का 100 प्रतिशत प्रवेश सुनिश्चित करना, बच्चों को स्कूल छोड़ने से रोकना, जरूरत पड़ने पर बच्चों को फिर से स्कूल में शामिल करना, स्कूल का सुरक्षा ऑडिट करना बैठक के लिए आवश्यकता आधारित एजेंडा तैयार करना, विद्यालय में निर्माण एवं मरम्मत की निगरानी, व्यय आदि की निगरानी करना।

#### **स्कूल के बुनियादी ढांचे और संसाधनों का विकास करना**

एनजीओ और विकास भागीदार स्कूल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए अपने संसाधनों को खींच सकते हैं जिसमें स्कूल भवन, चारदीवारी, रसोई, पुस्तकालय, शौचालय आदि शामिल हैं। स्कूल के बुनियादी ढांचे के अलावा, अंग्रेजी शिक्षक, गणित शिक्षक, शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक, डिजिटल को सुनिश्चित करने के लिए संसाधनों की व्यवस्था की जा सकती है। वर्ग आदि

#### **छात्रों की उपस्थिति का सत्यापन:**

छात्रों की उपस्थिति की निगरानी के लिए स्कूल उपस्थिति प्रणाली को डिजिटल किया जा सकता है। डिजिटलीकरण का उद्देश्य निगरानी करना और यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चे स्कूल जा रहे हैं। यदि कोई बच्चा लगातार तीन दिनों तक स्कूल नहीं जाता है तो स्कूल न आने की समस्या/मुद्दे का पता लगाने के लिए हस्तक्षेप किया जा सकता है। मंडल संसाधन समन्वयक, खंड शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा निगरानी रखने के लिए एक डैश-बोर्ड बनाया जा सकता है। यदि बिजली/बिजली की कोई समस्या है, तो बिजली सुनिश्चित करने के लिए सौर ऊर्जा के विकल्प तलाशे जा सकते हैं।

**पुस्तकालय:**जिन विद्यालयों में यह उपलब्ध नहीं है, वहां बच्चों की उम्र, समझ, भौगोलिक स्थिति आदि के अनुसार उपयुक्त पुस्तकों और पत्रिकाओं के साथ पुस्तकालय स्थापित किया जा सकता है। बच्चों को अपनी संस्कृति, भूगोल, स्थलाकृति को समझने के लिए पर्याप्त सामग्री होनी चाहिए। और सामुदायिक मूल्य।

### **मातृभाषा आधारित ईसीसीई:**

उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा तैयार की गई ईसीसीई (प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा) सामग्री का क्षेत्र में उपयोग की जाने वाली जनजातीय भाषा और बोलियों में अनुवाद किया जा सकता है। इससे बच्चों को समझने और सीखने में मदद मिलेगी।

### **बच्चों की भागीदारी:**

विद्यालय एवं छात्रों के महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय लेने में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के सभी विद्यालयों में बाल समिति का गठन किया जाए।

### **स्कूलों में छात्राओं के लिए सैनिटरीनैपकिनवैडिंगमशीनें:**

स्कूलों में सैनिटरीनैपकिनवैडिंग मशीनों की स्थापना विशेष रूप से को-एड वाले स्कूलों और लड़कियों के स्कूलों में शामिल की जानी चाहिए। इस गतिविधि के लिए छत्तीसगढ़ के अभ्यास, अनुकूलन के लिए अध्ययन किया जा सकता है।

माध्यमिक विद्यालयों की उपलब्धता पर्याप्त बुनियादी ढांचे के साथ मानदंडों के अनुसार माध्यमिक विद्यालयों, खुले विद्यालयों और शिक्षण केंद्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करें।

**छात्रवृत्तियां:**अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं शुरू की जा सकती हैं और उनका विस्तार किया जा सकता है।

15-18 वर्ष के बच्चों के लिए ओपन स्कूलिंग:15-18 वर्ष के बच्चों के लिए ओपन स्कूल/दूरस्थ शिक्षा की सुविधा।

### **खेलकूद और खेलों को बढ़ावा देना:**

बच्चों को खेल गतिविधियों में शामिल करने के लिए स्कूल, बस्ती और गांव में खेलों को बढ़ावा दिया जा सकता है जो बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए आवश्यक है। खेल जो क्षेत्रों में लोकप्रिय हैं जैसे; हॉकी, फुटबॉल, निशानेबाजी, तीरंदाजी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

### **आंगनवाड़ियों में टॉप-अपसेवाएं:**

आंगनवाड़ी 0 से 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों के लिए मंच है। आंगनवाड़ी द्वारा दी जाने वाली महत्वपूर्ण सेवाएं हैं; प्री-स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, जीवन

कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण। इन क्षेत्रों में काम करने वाले एनजीओ को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है कि इन सेवाओं को प्रभावी ढंग से वितरित किया जाए और इसके अलावा इन सभी सेवाओं पर अतिरिक्त जानकारी प्रदान की जाए, जैसे कि पूर्व-विद्यालय शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, जीवन कौशल आदि। यह महत्वपूर्ण है कि एनजीओ को इसका विस्तार करना चाहिए। आंगनबाड़ी में उनकी सेवाएं

### **आजीविका के विकल्प:**

परिवारों और समुदायों के लिए आजीविका के विकल्प प्रदान किए जा सकते हैं ताकि परिवार के लिए कमाने के लिए परिवार अपने बच्चों पर निर्भर न हों। आजीविका के विकल्प इलाकों के समुदायों के लिए उपयुक्त हो सकते हैं।

### **पंचायती राज संस्थान:**

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत पंचायती राज संस्थाओं और पंचायत के सदस्यों को उनकी भूमिका और उत्तरदायित्व के बारे में संवेदनशील बनाना।

### **योजनाओं का अभिसरण:**

समुदायों को योजनाओं (केंद्र और राज्य सरकार दोनों) के लाभों के प्रभावी वितरण के लिए अभिसरण मंच या सुविधा केंद्र बनाने की आवश्यकता है। यह जिला और ब्लॉक स्तर पर नामित अधिकारियों के साथ एक विशेष अभियान के तहत किया जा सकता है।

**समुदाय आधारित निवारक प्रणाली:** बाल श्रम, बाल प्रवासन, तस्करी, बाल विवाह, और बच्चों के खिलाफ सभी प्रकार के दुर्व्यवहार, शोषण और हिंसा को संबोधित करने के लिए समुदाय आधारित प्रबंधन और रोकथाम प्रणाली के विकास का समर्थन करें।

**भेद्यतामानचित्रण:** जिला प्रशासन और पीआरआई और यूएलबी जैसी प्रासंगिक एजेंसियों के समन्वय से बाल संरक्षण एजेंसियों द्वारा बच्चों की जिलेवार भेद्यतामानचित्रण की जाएगी।

**समुदाय आधारित अभियान:** पुलिस, जिला प्रशासन, राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार, माता-पिता, शिक्षकों, डॉक्टरों, नागरिक समाज संगठनों, पीआरआई समुदाय और अन्य हितधारकों के साथ साझेदारी में तस्करी, बाल श्रम, बाल प्रवास और बाल शोषण के खिलाफ जन अभियान को डिजाइन और कार्यान्वित करें।

**पोषण पुनर्वास:** सुविधा आधारित इकाइयों के रूप में पोषण पुनर्वास केंद्र (छत्बे) प्रदान करें, जो 5 वर्ष से कम उम्र के उन बच्चों को चिकित्सा और पोषण संबंधी देखभाल प्रदान करते हैं, जिन्हें चिकित्सीय जटिलताएँ हैं। गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की पहचान करने और माता-पिता को एनआरसी में जाने

के लिए प्रेरित करने के लिए जमीनी स्तर पर नेतृत्व और संचालन की भूमिका के लिए पीआरआई की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करें।